अध्याय IV

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

44.1 शहरी और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के दो व्यापक क्षेत्रों के साथ सहकारी बैंकिंग प्रणाली भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक आंतरिक भाग है। व्यापक नेटवर्क और दूर-दूर तक फैली इन संस्थाओंने निर्धनों और दूर-दराज के क्षेत्र में विद्यमान व्यक्तियों में बैंकिंग की आदत डालकर संस्थागत ऋण के क्षेत्र को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण विकासात्मक भूमिका अदा की है। हाल की अवधि में सहकारी बैंकों ने कुल वित्तीय नवोन्मेषों के जरिये ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाने के प्रयास किये हैं।

4.2 सहकारी बैंकिंग[1] की संरचना जो 50 से अधिक वर्षों से विकसित हुई है, उधारदाता और उधारकर्ता के रूप में अपने सदस्यों की दोहरी भूमिका को रेखांकित करती है। देश में मौजूदा सहकारी ऋण संरचना को दो व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है : शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं (चार्ट IV.1)। जहां शहरी सहकारी बैंकिंग प्रणाली की एकल टीयर संरचना होती है जिसमें प्राथमिक सहकारी बैंक (सामान्य रूप में शहरी सहकारी बैंक) आते हैं वहीं ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को दीर्घावधि और

चार्ट IV.1 : भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

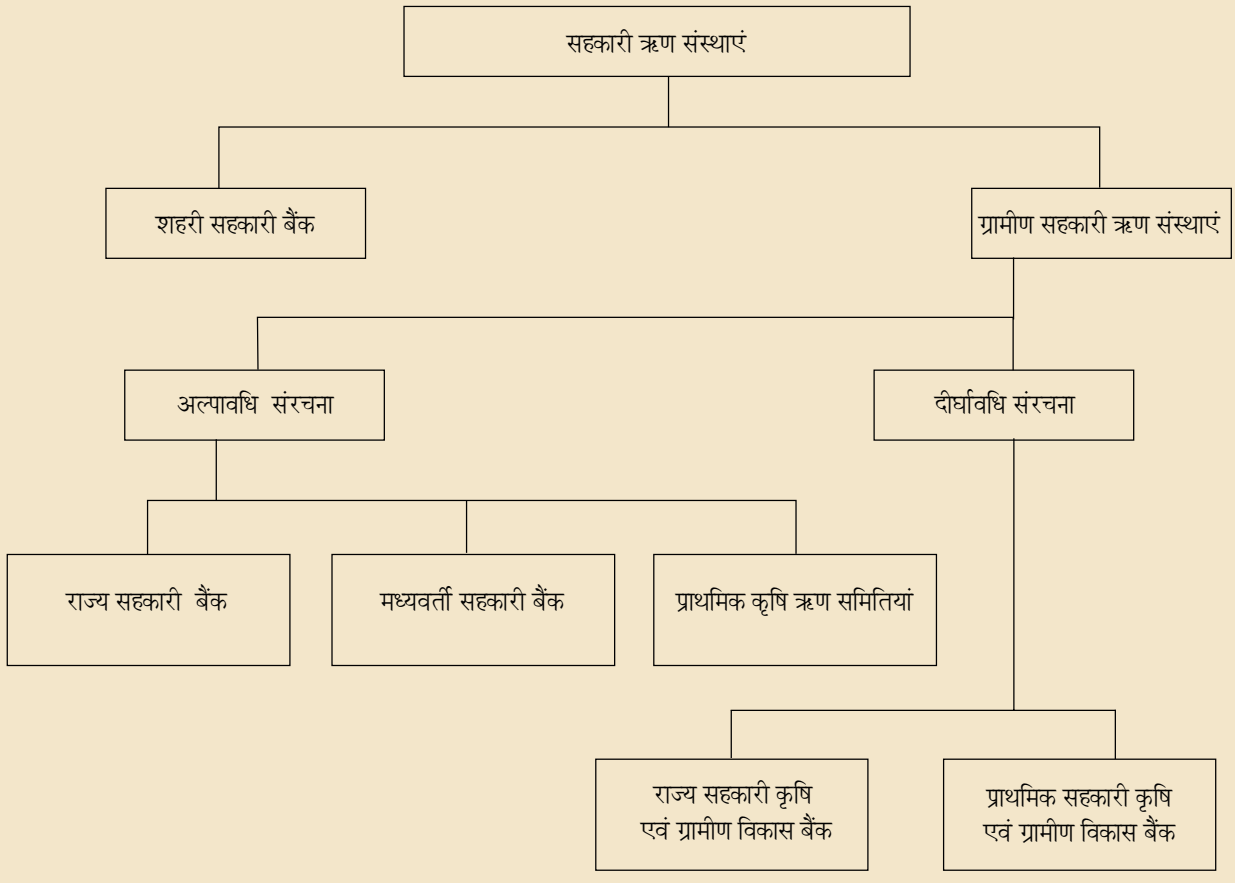

[1] बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत केवल शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और मध्यवर्ती सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में बैंक कहलाने के पात्र हैं। इस अध्याय में जो चर्चा की गयी है उसमें अन्य ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं अर्थात प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं की दीर्घावधि की संरचना से संबंधित मुद्दे शामिल किये गये हें। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित आंकड़े 2003-04 के हैं, जबकि अन्यों से संबंधित आँकड़े मुख्यतः 2002-03 के हैं।

अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है जिनकी बहुस्तरीय संरचना होती है। अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं की तीन-स्तरीय संरचना होती है जिसमें राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आती हैं जो बैंक नहीं है बल्कि केवल, समिति हैं। दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाएं सामान्यतः दो-स्तरीय संरचनावाली होती हैं जिसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससी-एआरडीबी) एवं प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)आते हैं। दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं की कुछ राज्यों में एकात्मक संरचना होती है और अन्य राज्यों में उनकी संरचना मिश्र स्वरूप (एकात्मक और दो-स्तरीय) की होती है। जिन राज्यों में दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाएं नहीं होती हैं वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की शाखाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं के अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाएं दी जाती हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश में सहकारी संरचना समन्वित है जिसमें अल्पावधि तथा साथ ही दीर्घावधि संरचना का समन्वयन है।

4.3 सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण में इन बैंकों की बहुत अधिक संख्या होने तथा पर्यवेक्षकों द्वारा रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों और नाबार्ड सहित बहुविध नियंत्रण को देखते हुए कई चुनौतियां होती हैं। वर्तमान में सहकारी संस्थाएं सभी मामलों में चाहे वे पंजीकरण, सदस्यता, चुनाव, वित्तीय सहायता, ऋण देने की शक्तियां, कारोबारी परिचालन, ऋण की वसूली और लेखा परीक्षा हो राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित कुछ पहलुओं का विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा किया जाता है। जहां शहरी सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में आते हैं वहीं ग्रामीण सहकारी संस्थाएं नाबार्ड द्वारा विनियमित की जाती हैं। इस प्रकार विनियामक शक्तियों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है और इसलिए कभी-कभी नियंत्रक एजेंसियों से एक-दूसरे के विपरीत दिशानिर्देश दे दिये जाते हैं जो सहकारी संस्थाओं की कार्य-प्रणाली को निर्बल करते हैं।

4.4 कई वर्षों से परिचालनगत अनुभवों के बावजूद अनेक सहकारी बैंकों की वित्तीय क्षमता उनकी संभाव्यता से कम है (परिशिष्ट सारणी IV.1)। बेहतर कम्पनी संचालन, सुदृढ़ निवेश नीति, उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां, बेहतर ऋण जोखिम प्रबंधन, बेहतर ग्राहक सेवा के प्रति वचनबद्धता तथा नये उभरते कारोबारी क्षेत्रों जैसे माइक्रो वित्त पर विशेष ध्यान, जैसे तत्वों को बढ़ाने से सहकारी बैंकों के सुदृढ़ होने की आशा है जिससे कि वे अपने समक्ष आनेवाली चुनौतियों से निपट सकेंगे। रिज़र्व बैंक एक विनियामक ढांचा का विकास करने तथा सहकारी क्षेत्र के लिए एक ऊर्जस्वित भविष्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक पुनर्बहाली योजना बनाने के लिए सलाह मशविरा का दृष्टिकोण अपनाकर समग्र वित्तीय क्षेत्र की सर्वांगीण स्थिरता को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है।

2. शहरी सहकारी बैंक

4.5 शहरी सहकारी बैंक कृषीतर क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे उधारकर्ताओं की जरूरतें पूरा करने के लिए शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय मध्यस्थकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य तथा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सन्मुख रहनेवाली समस्याओं के संदर्भ में सहकारी बैंकों के महासंघों और संघों के परामर्श से कई पहलें की गयीं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं; छोटे ऋणों और एक लाख रुपये तक के स्वर्ण ऋणों के लिए लागू किये जानेवाले 90 दिवसीय गैर-निष्पादक आस्ति मानदंड को दो-वर्ष किया जाना, संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत आस्तियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना तथा 25 प्रतिशत तक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी में अंतरित करने की अनुमति देना। रिज़र्व बैंक ने क्रियाविधिगति तथा विनियामक मामले निपटाने के लिए कई पहलें की हैं। शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में स्थायी परामर्शदात्री समिति के रूप में परामर्शी प्रक्रिया पहले ही स्थापित कर दी गयी है। जैसा कि 2004-2005 की वार्षिक नीति की छमाही समीक्षा में कहा गया है जमाकर्ताओं का हित सुनिश्चित करने तथा संक्रामकता से बचने के लिए स्थानीय जनसमुदायों के उपयोगी सेवा प्रदान करने के साथ साथ शहरी सहकारी बैंकों की भावी भूमिका के लिए वीजन प्रलेख तैयार किया जा रहा है। संरचनात्मक मामलो के संबंध में रिज़र्व बैंक क्षेत्र के बीच समेकन के द्वारा सुदृढ तथा व्यवहार्य संस्थाओं की वृद्धि को बढ़ावा देगा। साथ ही, रिज़र्व बैंक राज्य और केंद्र सरकारों को उनके अपने अधिकार-क्षेत्र में आनेवाले विषयों को निपटाने का आग्रह करता रहेगा।

4.6 शहरी सहकारी बैंकों की संख्या वर्ष 1966, जिस वर्ष शहरी सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की परिधि के अधीन लाया गया में स्थित 1,106 की तुलना में जून 2004 के अंत तक बढकर 2, 105 हो गयी। इनमें परिसमापनाधीन 179 बैंक भी शामिल हैं । इनमें 80 वेतन अर्जक बैंक, 112 महिला बैंक और 25 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति बैंक शामिल हैं। शाखाओं के राज्यवार वितरण से पता चलता है कि लगभग 80 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों का सक्रेंद्रण पांच राज्यों अर्थात्

सारणी IV.1: शहरी सहकारी बैंकों की राज्यवार स्थिति
(मार्च 2004 के अंत तक)

क्रम सं.	राज्य का नाम	बैंकों की संख्या	प्रधान कार्यालय व शाखा सहित शाखाओं की संख्या	विस्तार काउंटर
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	133	299	10
2	असम/मणिपुर/मेघालय / सिक्किम/नगालैण्ड/ त्रिपुरा /अरुणाचल प्रदेश	19	26	0
3	बिहार/झारखंड	5	5	1
4	गुजरात	328	1,091	3
5	जम्मू और कश्मीर	4	17	4
6	कर्नाटक	300	1,052	18
7	केरल	63	344	0
8	मध्य प्रदेश	81	108	4
9	महाराष्ट्र और गोवा	639	4,333	23
10	नई दिल्ली	16	60	2
11	उड़ीसा	13	50	4
12	पंजाब/ हरियाणा / हिमाचल प्रदेश	17	48	1
13	राजस्थान	42	161	7
14	तमिलनाडु और पांडिचेरी	134	180	2
15	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	80	306	14
16	पश्चिम बंगाल	52	86	2
	जोड़	**1,926**	**8,166**	**95**

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। (सारणी IV.1)। केवल नौ शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों की मात्रा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं, जबकि अधिकतर शहरी सहकारी बैंकों (लगभग 60 प्रतिशत) की जमाराशियों की मात्रा 25 करोड़ रुपये से कम है (सारणी IV.2)

4.7 शहरी सहकारी बैंकों की 8,166 शाखाओं में से 883 यूनिट बैंक - अर्थात् जो प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के रूप में कार्यरत बैंक थे । केन्द्रवार स्थिति यह दर्शाती है कि अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद और नागपुर में यूनिट बैंकों की संख्या सर्वाधिक थी (सारणी IV.3)।

सारणी IV.2: शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशि की मात्रा के अनुसार स्थिति
(31 मार्च 2004 को)

जमाराशि की मात्रा	बैंकों की संख्या
1	2
रु. 10 करोड़ से कम	544
रु. 10-25 करोड़	401
रु. 25-50 करोड़	225
रु. 50-100 करोड़	177
रु. 100-250 करोड़	127
रु. 250-500 करोड़	38
रु. 500-1,000 करोड़	18
रु. 1,000 करोड़ से अधिक	9
जोड़	**1,539 #**

387 बैंकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी IV.3: यूनिट बैंकों की स्थिति : केंद्रवार
(मार्च 2004 के अंत तक)

क्रम.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	यूनिट बैंक
1	2	3
1	अहमदाबाद	170
2	बंगलूर	168
3	भोपाल	60
4	भुवनेश्वर	4
5	चंडीगढ़	10
6	चेन्नै	60
7	गुवाहाटी	15
8	हैदराबाद	107
9	जयपुर	20
10	जम्मू	1
11	कोलकाता	32
12	लखनऊ	53
13	मुंबई	51
14	नागपूर	110
15	नई दिल्ली	0
16	पटना	4
17	तिरुवनंतपुरम	18
	जोड़	**883**

4.8 किसी सहकारी बैंक को दूसरी अनुसूची में शामिल होने के पात्र बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मांग और मीयादी देयताओं की सीमा 30 अक्तूबर 2003 की भारत सरकार की अधिसूचना के जरिये 100 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दी गयी है। 2003-04 (जुलाई-जून) के दौरान एक शहरी सहकारी बैंक अर्थात् प्रवरा सहकारी को. आपरेटिव बैंक लि., लोणी, जिला-अहमदनगर को दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि गुजरात से दो शहरी सहकारी बैंकों अर्थात् चरोतर नागरिक सहकारी बैंक लि., आणंद और विस्नागर नागरिक सहकारी बैंक लि., विस्नागर, गुजरात को उनके परिसमापन हो जाने के कारण हटा दिया गया। इसके फलस्वरूप, मार्च 2004 के अंत में 55 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक थे जो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे।

4.9 2003-04 के दौरान अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में तुलन-पत्र, लाभ और आय तथा आस्ति गुणवत्ता के संबंध में कई सकारात्मक गतिविधियां देखी गयीं (सारणी IV.4)। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां और अग्रिम 2003-04 के दौरान बढ़ने जारी रहे। नीतिगत शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति संरचना, विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश वृद्धि संबंधी किये गये बदलाव से, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में 40.4 प्रतिशत की ठोस वृद्धि दर्शायी गयी जबकि शहरी सहकारी बैंकों की निवल हानि में 69.1 प्रतिशत की गिरावट आयी। एक समूह के रूप में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की टीयर I पूंजी 2002-03 के ऋणात्मक 10 करोड़ रुपये से पर्याप्त रूप से बढ़कर 2003-04 में 297 करोड़ रुपये की हो गयी। यह नोट किया जाए कि मार्च 2003 को समाप्त वर्ष में ऋणात्मक रही टीयर I पूंजी निम्नलिखित बैंकों की समग्र स्थिति पर ऋणात्मक टीयर II पूंजी के संयुक्त प्रभाव के कारण थी - (i) माधवपुरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (ii) चारमीनार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (iii) वसावी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., (iv) बाम्बे मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., (v) जनता सहकारी बैंक लि., (vi) मापुसा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. और (vii) रुपी को-आपरेटिव बैंक लि.। टीयर II पूंजी में 21.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज हुई। गैर-निष्पादक आस्तियां समग्र तथा प्रतिशत दोनों ही रूपों में कम हो गयी। निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में आयी गिरावट बढ़े हुए प्रावधानीकरण के कारण उच्चतर थी।

शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण

4.10 संबंधित राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अधीन शहरी सहकारी बैंक समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं और बहु राज्यों में फैले शहरी सहकारी बैंक भारत सरकार द्वारा प्रशासित बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत होते हैं। जहां शहरी सहकारी बैंकों के पंजीकरण, प्रशासन, समामेलन और परिसमापन पर राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधान लागू होते हैं, वहीं उनके बैंकिंग से संबंधित कार्यों पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के प्रावधान लागू होते हैं।

सारणी IV.4: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2003	2004	घट-बढ़ (प्रतिशत में)
1	2	3	4
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	56	55	–
चुकता पूंजी	608	707	16.2
प्रारक्षित धन (ऋण हानि प्रावधान को छोड़कर)	2,195	2,488	13.4
टीयर I पूंजी	-10	297	–
टीयर II पूंजी	434	529	21.7
जमाराशियां	36,024	39,305	9.1
सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	10,806	13,954	29.1
ऋण और अग्रिम	22,941	23,962	4.5
सकल गैर निष्पादक आस्तियां	6,927	6,892	-0.5
निवल गैर निष्पादक आस्तियां	3,827	3,509	-8.3
निवल लाभ	354	497	40.4
निवल हानि	326	101	-69.1
संचित हानियां	2,276	2,320	1.9

टिप्पणी: शहरी सहकारी बैंक की विवरणियों पर आधारित प्रारक्षित निधि में सांविधिक प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधि एवं बाह्य देयताओं के स्वरुप के न होनेवाले प्रावधान शामिल हैं।

4.11 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, तथा निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए 24 सितंबर 2004 को एक अध्यादेश प्रवर्तित किया गया ताकि रिज़र्व बैंक बहु-राज्य सहकारी समितियों को बैंकिंग कारोबार किये जाने के लिए लाइसेंस जारी कर सके। यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के 29 अक्तूबर 2003 के इस निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप था कि रिज़र्व बैंक बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम), 2002 के अधीन लिए पंजीकृत समिति को बैंकिंग लाइसेंस जारी नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन वर्तमान बहु राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों को जारी किये गये लाइसेंसों की वैधता के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया था। उक्त संशोधनों से रिज़र्व बैंक बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियों को लाइसेंस प्रदान कर सकेगा। बहु राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) भी निबीप्रगा निगम अधिनियम की धारा 2 (जीजी) के अधीन 'पात्र बैंक' बन गये हैं ताकि उनकी जमाराशियों के लिए छोटे जमाकर्ताओं के हित में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा बीमा रक्षा प्राप्त हो सके।

4.12 रिज़र्व बैंक 2000-01 से शहरी सहकारी बैंकों की विनियामक व्यवस्था को वाणिज्य बैंकों के समान स्तर पर लाने के लिए विवेक-सम्मत मानदंड, पूंजी पर्याप्तता मानक, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण मानदण्ड, व्यक्तिगत तथा समूह निवेश जोखिम मानदंड, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) ढांचा आदि संबंधी कई उपाय लागू करके प्रयास करता रहा है।

4.13 रिज़र्व बैंक ने प्रस्तावित बैंकों की अर्थक्षमता को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों, प्रस्तावित नये शहरी सहकारी बैंकों के प्रोन्नत कर्ता (प्रमोटर) की पृष्ठभूमि तथा ऋण पात्रता एवं प्रोन्नत कर्ता द्वारा प्रस्तुत स्थिति और कारोबारी अनुमानों की जांच करने के लिए प्रसिद्ध बाह्य विशेषज्ञों की एक अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति गठित की है। 2003-04 के दौरान समिति के विचारार्थ नये शहरी सहकारी बैंकों के गठन संबंधी 118 प्रस्ताव रखे गये। 2002-03 के दौरान जिन तीन शहरी सहकारी बैंकों को 'सिद्धान्ततः' अनुमोदन दिये गये थे, उन्हें 2003-04 के दौरान बैंकिंग लाइसेंस जारी किये गये। तथापि, समिति ने सभी नये प्रस्तावित शहरी सहकारी बैंकों के लिए सिफारिश की है की यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि ऐसा प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप में क्रमिक प्रक्रियासे और सत्यापन योग्य पिछले रिकार्ड के आधार पर किया जाए। बाद में यह निर्णय लिया गया कि शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में व्यापक नीति निश्चित करने के बाद ही नये लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जाए।

4.14 2003-04 की अवधि के दौरान 86 शहरी सहकारी बैंकों को नयी शाखाएं खोलने के लिए 104 लाइसेंस जारी किये गये। विस्तार काउंटर खोलने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल ग्रेड III/IV के रूप में वर्गीकृत न किये गये शहरी सहकारी बैंक शैक्षिक संस्थाओं, बड़े कार्यालयों, फैक्टरियों और अस्पतालों के परिसर के भीतर ही विस्तार काउंटर (ईसी) खोल सकते हैं ,बशर्ते उस बैंक की निकटतम शाखा संबंधित संस्था के स्थान से 10 कि.मी.से अधिक दूर हो। ग्रेड I/III के शहरी सहकारी बैंकों के लिए विस्तार काउंटर खोलने की पात्रता में यह अपेक्षित है कि स्वाधिकृत निधियां विस्तार काउंटर खोलने के प्रस्तावित स्थान पर नयी शाखा खोलने के लिए जरूरी न्यूनतम निधि से कम नहीं होनी चाहिए और यह भी कि सीआरआर / एसएलआर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किये जानेवाले ऋण लक्ष्य, [सहकारी समितियों पर यथा लागू] बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्य उपबंध एवं रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य निवल अनुदेशों का पालन किया जाए। साथ ही, केवल ऐसे शहरी सहकारी बैंक ही, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में निवल लाभ दर्शाया है तथा जिनकी गैर-निष्पादक आस्तियां 7 प्रतिशत से नीचे हैं, सुरक्षा जमा लॉकर सुविधा दे सकते हैं, बशर्ते पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये। जहां पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को विस्तार काउंटर खोलने की तथा रिज़र्व बैंक से 'कार्योत्तर' अनुमोदन लेने की अनुमति दी गयी है वहीं, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए विस्तार काउंटर खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।

4.15 रिज़र्व बैंक का वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) अपने समक्ष प्रस्तुत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की निरीक्षण रिपोर्टों के सारांश तथा उससे संदर्भित अन्य मामलों पर विचार करते समय होनेवाली चर्चा तथा मार्गदर्शन के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन की गुणवत्ता पर बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है (बाक्स IV-1)।

अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशानिर्देश

4.16 शहरी सहकारी बैंकों पर 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवायसी) मानदंडों की भी शर्त लागू है। ये दिशानिर्देश जमाकर्ताओं की पहचान करने से संबंधित हैं और इनके द्वारा बैंकों से अपेक्षित है कि वे वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने, काले धन को वैध बनाने तथा संदेहास्पद गतिविधियों संबंधी कार्यों की पहचान करने में सहायता प्रदान करने के लिए तथा भारी मूल्य के नकदी लेनदेनों की संवीक्षा / निगरानी करने के लिए प्रणाली और क्रियाविधि स्थापित करें। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 'अपने ग्राहक को जानिए' दिशानिर्देशों के एक भाग के रूप में ग्राहकों से प्राप्त की जानेवाली जानकारी गोपनीय है और इसे बैंकों द्वारा विभिन्न घटकों संबंधी सेवाओं के एक दूसरे के बीच आदान-प्रदान के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। ग्राहक के संबंध में 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी अपेक्षाओं से इतर प्रयोजनों के लिए जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक ऐसी

बाक्स IV.1: सहकारी बैंकों के विनियमन में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की भूमिका

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने मार्च 2004 में सुझाव दिया था कि जब तक उचित विनियामक / कानूनी ढांचा बनाया नहीं जाता, तब तक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया और 18 मई 2004 को घोषित 2004-05 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में इसे शामिल कर लिया गया।

इसके अलावा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने वर्तमान लाइसेंस-रहित बैंकों को उनके पात्रता मानदंडों के आधार पर बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने संबंधी मामले पर क्रमिक दृष्टिकोण रखने का प्रस्ताव किया है। साथ ही, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने दूसरे शहरी सहकारी बैंक पर एक शहरी सहकारी बैंक डूब जाने के संक्रामक परिणाम से बचने के लिए निदेश दिया है कि केवल वित्तीय रूप से मज़बूत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को ही गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां रखने की अनुमति दी जाए। बोर्ड ने कतिपय वित्तीय लक्ष्य बिंदुओं पर आधारित एक 'त्वरित निवारक कार्रवाई' तंत्र बनाये जाने की जरूरत पर भी जोर दिया था और जैसा की बोर्ड ने निदेश दिया है, पर्यवेक्षी कार्रवाई के तीव्रगामी (एस्कलेटर्स) ढांचे पर एक आलेख तैयार किया जा रहा है। जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी ऐसे कई अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के मामले में बोर्ड ने निदेश दिया है कि संबंधित राज्य सरकारों को इन बैंकों में निर्धारित सीआरएआर स्तर को पूरा करने के लिए अपेक्षित सीमा तक पूंजी निवेश करने के लिए सूचित किया जाए। यदि निर्धारित समय में पूंजी निधि जमा नहीं की जाती है तो जिन बैंकों ने ऐसे बैकों (जिन्हें शोधन की समस्या है) के पास जमाराशियां रखी हैं उन्हें गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में माना जाना चाहिए।

वाणिज्य बैंकों के लिए यथा लागू 'केमल्स रेटिंग' पर आधारित पर्यवेक्षी दर्जा निर्धारण प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर मार्च 2003 से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू किया गया। बड़े गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैकों के लिए मार्च 2004 से 'सीएईएल' मानदंडों पर आधारित सरलीकृत रेटिंग माडल लागू किया गया।

जानकारी का प्रयोग करने के संबंध ग्राहक का अलग से अनुमोदन लेते हुए ऐसा कर सकते हैं।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना

4.17 निर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे कुल ऋणों और अग्रिमों के 60 प्रतिशत तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दें तथा कुल प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कम से कम 25 प्रतिशत (या कुल ऋणों और अग्रिमों का 15 प्रतिशत) कमजोर क्षेत्रों को दें। लघु उद्योग क्षेत्र (संयंत्र और मशीनरी में किये जानेवाले निवेश के आधार पर वर्गीकृत) के सभी घटकों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कतिपय उप-लक्ष्य भी निर्दिष्ट किये गये हैं (सारणी IV.5)।

4.18 मार्च 2003[2] के अंत में शहरी सहकारी बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 42,633 करोड़ रुपये प्रदान किये जो कुल ऋणों और अग्रिमों का 62.1 प्रतिशत था (सारणी IV.6)। घटक-वार आंकड़े दर्शाते हैं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का सर्वाधिक प्रतिशत कुटीर और लघु उद्योगों को दिया गया था, जिसके बाद आवास और लघु कारोबारी उद्यमों का स्थान था।

पुनर्वित्त सुविधाएं

4.19 2003-04 (अप्रैल-मार्च) की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4) (सी) के साथ पठित धारा 17(2)(बीबी) के अधीन चार शहरी सहकारी बैंकों को 466.89 लाख रुपयों का पुनर्वित्त मंजूर किया गया।

बीमा कारोबार में प्रवेश करना

4.20 100 करोड़ रुपयों की न्यूनतम निवल संपत्ति रखने वाले तथा जोखिम मानदंडों एवं सम्बद्ध उधार देने का पालन करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जोखिम सहभागिता के बिना बीमा कारोबार करने के लिए कंपनी एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

शहरी सहकारी बैंकों संबंधी स्थायी परामर्शदात्री समिति

4.21 शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित नीतिगत मामलों पर विशेषज्ञ परामर्श देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में गठित स्थायी परामर्शदात्री समिति एक

सारणी IV.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए उप-लक्ष्य

क्रम सं.	श्रेणी	संयंत्र और मशीनरी में निवेश	कुल लघु उद्योग अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4
1.	सूती वस्त्रोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, कारीगर और अत्यंत लघु उद्योग	5लाख रुपये तक	40
2.	सूती वस्त्रोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, कारीगर और अत्यंत लघु उद्योग	5 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के बीच	20
3.	अन्य लघु उद्योग इकाई	25 लाख रुपये और 100 लाख रुपये के बीच	40

[2] शहरी सहकारी बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम संबंधी आंकड़े मार्च 2003 के अंत तक उपलब्ध हैं।

सारणी IV.6: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और कमजोर क्षेत्र को घटकवार अग्रिम

(31 मार्च 2003 को)

(राशि करोड़ रु. में)

	घटक	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	कमजोर क्षेत्र को अग्रिम
	1	2	3
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	2,143	668
		(5.0)	(6.3)
2.	कुटीर और लघु उद्योग	9,252	1,373
		(21.7)	(12.8)
3.	सड़क और जल परिवहन परिचालक	2,876	614
		(6.8)	(5.7)
4.	निजी खुदरा व्यापार (अत्यावश्यक पण्य)	3,444	866
		(8.1)	(8.1)
5.	खुदरा व्यापार (अन्य)	3,702	1,108
		(8.7)	(10.4)
6.	छोटे कारोबारी उद्यम	6,043	1,441
		(14.2)	(13.5)
7.	व्यवसायी और स्वनियोजित	5,134	1,605
		(12.0)	(15.0)
8.	शैक्षिक ऋण	1,228	403
		(2.9)	(3.8)
9.	आवास ऋण	6,835	2,287
		(16.0)	(21.4)
10.	उपभोग ऋण	1,975	326
		(4.6)	(3.1)
कुल		**42,633**	**10,690**
		(100.0)	(100.0)
कुल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत		**62.1**	**15.6**

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित अग्रिमों के प्रतिशत हैं।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जिसके अध्यक्ष उप गवर्नर हैं तथा इसके सदस्य हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों, आइबीए, डीआइसीजीसी,नाबार्ड तथा शहरी सहकारी बैंकों के महासंघ के प्रतिनिधि। इस समिति ने दिसंबर 2002 में सिफ़ारिश की थी कि शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड में सदस्येतर जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि ऐसे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, क्योंकि शहरी सहकारी बैंकों में कुल जमाराशियों की तुलना में सदस्येतर जमाराशियों का अनुपात काफ़ी उच्च होता है । तदनुसार, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करें ताकि शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड में सदस्येतर जमाकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित संरचनागत/विनियामक और पर्यवेक्षी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक विधायक रूप में परामर्शी प्रक्रिया लागू करने की दृष्टि से और इस क्षेत्र के लिए भावी दृष्टिकोण को निर्धारित करणे की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए यह निर्णय किया गया है कि इस समिति की भविष्य में तिमाही आधार पर बैठक होगी।

निदेशकों और हितबद्ध कंपनियों को ऋण देने पर पाबंदी

4.22 निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा जिन कंपनियों में उनका हित निहित है ऐसी कंपनियों को ऋण प्रदान करने संबंधी समग्र सीमा दिसंबर 2002 में घटाकर बैंक की मांग और मीयादी देयताओं के पांच प्रतिशत कर दी गयी। तथापि, कुछ ही उधारकर्ताओं जिनमें निदेशक और उनके रिश्तेदार शामिल हैं, के पास अनुचित रूप में अग्रिम संचित हो जाने की कुछ घटनाओं के प्रति रिज़र्व बैंक का ध्यान आकर्षित किया गया। ''शेयर बाजार घोटाला तथा तत्संबंधी मामलों'' की जांच करनेवाली संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि निदेशकों और उनके रिश्तेदारों तथा जिन कंपनियों में उनका हित निहित है उन्हें ऋण प्रदान करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तदनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा जिन फर्मों/संस्थाओं में उनका हित निहित है उन्हें ऋण और अग्रिम मंजूर करने पर 1 अक्तूबर 2003 से पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया गया है।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

4.23 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश बढ़ायें। ऐसी प्रतिभूतियों के लेनदेनों से उत्पन्न होनेवाले जोखिम को कम करने की दृष्टि से यह निर्धारित किया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों को निवेशों की बिक्री से प्राप्त प्रतिलाभ में से निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित (आइएफआर) निधि गठित करनी चाहिए और वह पांच वर्षों की अवधि के भीतर निवेश संविभाग के न्यूनतम पांच प्रतिशत के उपलब्ध निवल लाभ की शर्त पर होगी।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किये जानेवाले गैर-एसएलआर निवेश

4.24 शहरी सहकारी बैंकों के गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में किये जानेवाले निवेश संबंधी दिशानिर्देश का ड्राफ्ट शहरी सहकारी बैंकों से अभिमत / सुझाव पाने के लिए वेबसाइट पर डाला गया। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर अप्रैल 2004 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। ये दिशानिर्देश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किये जानेवाले बांडों, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी किये जानेवाले गैर-जमानती प्रतिदेय बांडों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों / शेयरों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश के संबंध में हैं तथा ये प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार दोनों पर लागू हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली गैर- एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति नहीं है। निवेश की हर श्रेणी के लिए निदेशक बोर्ड को विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सहित गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में कुल निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को विद्यमान जमाराशियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में शहरी सहकारी बैंकों के निवेश पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

बिलों की भुनाई

4.25 वास्तविक वाणिज्यिक बिलों की खरीद / सौदा करने / भुनाने / पुनर्भुनाने के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश रक्षोपाय जारी किये गये हैं। बैंकों को अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक बिल भुनाई नीति सुस्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए जो उनकी कार्यकारी पूंजी सीमा मंजूर करने नीति के अनुरूप हो।

समवर्ती लेखा-परीक्षा

4.26 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशियों वाले सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों और अन्य शहरी सहकारी बैंकों को दिसंबर 1996 में समवर्ती लेखा-परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए सूचित किया गया था। जैसा कि ''शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों'' संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सिफ़ारिश की गयी है, सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा अधिदेशात्मक बना दी गयी है। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि समवर्ती लेखा-परीक्षकों द्वारा बतायी गयी गंभीर अनियमितताओं, यदि कोई हो, के बारे में उनमें सुधार लाने के बारे में की गयी कार्रवाई के ब्यौरों के साथ रिज़र्व बैंक को सूचित करें।

90 दिवसीय गैर-निष्पादक आस्ति मानदंड

4.27 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के अनुरूप तथा अधिकाधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण ऋण और 1 लाख रुपये तक के छोटे ऋणों को छोड़कर, जिन पर 180 दिनों की अवधि का अनर्जक मानदंड लागू बना रहेगा, ऋण के अनर्जक हो जाने के रूप में माने जाने संबंधी अवधि 31 मार्च 2004 से 180 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दी गयी।

गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी

4.28 शहरी सहकारी बैंकों / महासंघों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के परिप्रेक्ष्य में एक बारगी निपटान के अधीन 10 करोड़ रुपयों तक की गैर निष्पादक आस्तियों के निपटान संबंधी आवेदन-पत्र प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की समयावधि बढ़ाकर क्रमशः जुलाई 2004 और अक्तूबर 2004 कर दी गयी। सभी राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे उचित अनुदेश जारी करें कि शहरी सहकारी बैंक गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए प्रतिभूतिकरण अधिनियम का आश्रय ले सकें।

4.29 1 अप्रैल 2004 के बाद या 3 वर्ष से अधिक से संदिग्ध की श्रेणी में शामिल की गयी गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में पहले निर्धारित 50 प्रतिशत के स्थान पर 1 मार्च 2005 से 100 प्रतिशत के उच्चतर प्रावधानीकरण की अपेक्षा की गयी है। शहरी सहकारी बैंकों के महासंघों /संघों से अपने खातों के भुगतान की अनुसूची पुनः तैयार करने के लिए और अधिक सख्त विवेकसम्मत मानदंडों को पूरा किये जाने के लिए अधिक समय दिये जाने के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों को (i) 31 मार्च 2006 को बकाया गैर निष्पादक आस्तियों के लिए गैर-निष्पादक आस्तियों की अवधि के अनुसार स्तरबद्ध उच्चतर प्रावधान को अपनाने तथा (ii) 3 वर्ष से अधिक की अवधि से 'संदिग्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत के प्रावधानीकरण की अपेक्षा के लिए और अधिक समय दिया जाए।

गैर-निष्पादक आस्तियों की पहचान और उसके लिए प्रावधान करना

4.30 यह पाया गया कि शहरी सहकारी बैंक ऐसी गैर-निष्पादक आस्तियों जिनके कारण वार्षिक लेखाबंदी तारीख से इतर किसी तारीख को निवल गैर-निष्पादक आस्तियों की मात्रा गड़-बड़ हो जाती है, के लिए प्रावधान करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करते हैं। अतः शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि निरंतर आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों की पहचान करने के अलावा उन्हें साथ-साथ उनके लिए हर तिमाही के अंत में प्रावधान करना चाहिए।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए अप्रत्यक्ष निगरानी (ओएसएस) प्रणाली

4.31 मार्च 2004 को समाप्त तिमाही से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए अप्रत्यक्ष निगरानी विवरणी का संशोधित सेट निर्धारित किया गया ताकि पर्यवेक्षण की दृष्टि से चिंता के क्षेत्रों की संबंधित सूचना प्राप्त की जा सके, एमआइएस प्रणाली को अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के भीतर मज़बूत किया जा सके तथा उनके प्रबंध-तंत्रों को पर्यवेक्षी प्राधिकारियों की विवेकपूर्ण चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके एवं एतद्द्वारा स्वयं विनियमन के संबंध में सहायता दी जा सके। अप्रत्यक्ष निगरानी (ओएसएस) विवरणी की विषय-वस्तु तथा संरचना संशोधित कर जहां प्रस्तुत किये जानेवाले डाटा की मात्रा कम कर दी गयी है वहीं शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राप्त की जानेवाली जानकारी की व्याप्ति और गहराई व्यापक की गयी है। शहरी सहकारी बैंकों को अब अप्रैल 2004 को समाप्त तिमाही से प्रस्तुत की जानेवाली एक वार्षिक विवरणी सहित आठ विवरणियां प्रस्तुत करनी होती हैं।

4.32 अप्रत्यक्ष निगरानी की व्याप्ति जून 2004 को समाप्त तिमाही से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के जमा आधार वाले गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर लागू की गयी है। शेष गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को चरणबद्ध रूप से अप्रत्यक्ष निगरानी के अधीन लाना होगा। रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित संशोधित अनुप्रयोग साफ्टवेयर अप्रत्यक्ष निगरानी के अंतर्गत आनेवाले सभी शहरी सहकारी बैंकों में लगाया गया है ताकि वे सभी विनियामक और पर्यवेक्षी विवरणियां इलेक्ट्रानिक फार्मेट में प्रस्तुत कर सकें। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले डाटा की सटीकता को वैधीकरण जांच के जरिये सुनिश्चित किया जायेगा जो कि अनुप्रयोग के पैकेज में ही निहित हैं। अनुप्रयोग के पैकेज से क्षेत्रीय कार्यालय भी शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त डाटा इलेक्ट्रानिक रूप में प्राप्त कर सकेंगे और इस डाटा को इन्फाइनेट पर केंद्रीय कार्यालय में स्थापित सर्वर पर पुनः उतारा जायेगा।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

4.33 त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के ढ़ांचे के रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंडों अर्थात् पूंजी पर्याप्तता, निवल गैर-निष्पादक अग्रिम और लाभप्रदता के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को ग्रेड देने की प्रणाली लागू की गयी है। समस्याग्रस्त बैंकों को ग्रेड निर्धारण की सूचना दी जाती है ताकि वे सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्रवाई योजना बना सकें (बाक्स IV.2)। केवल सुदृढ़ वित्तीय स्थितिवाले शहरी सहकारी बैंकों को लाभांश घोषित करने की अनुमति है।

दिशा निर्देशों के अधीन बैंक

4.34 गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में फंसे बैंकों के संबंध में रिज़र्व बैंक धारा 35 ए के तहत दिशा निर्देश जारी करता है। ये दिशा निर्देश या तो निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर या किसी बैंक पर आहरणकर्ताओं की असामान्य भीड़ लगने जैसी अकस्मात स्थिति उत्पन्न होने, आदि के कारण जारी किए जाते हैं। दिशा निर्देशों में जमाराशि स्वीकारने पर प्रतिबंध, किसी उच्चतम सीमा सहित या उसके बिना जमाराशियों के आहरण, ऋणों के विस्तार, बैंक के दैनिक कार्यों हेतु आवश्यक न्यूनतम स्थापना खर्च से इतर खर्च करने पर रोक, आदि शमिल होता है। दिशा निर्देशों के अधीन रखे गए बैंकों की निगरानी की जाती है और कमियां दूर करने की बैंक की क्षमतानुसार उक्त प्रतिबंध क्रमिक रूप से हटाए जाते हैं (परिशिष्ट सारणी IV.2)।

पुनर्गठन योजनाएं

4.35 वित्तीय कठिनाइयों में फंसे कुछ शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में अनुमोदित पुनर्गठन योजनाएं अपेक्षानुसार प्रगति नहीं कर रही हैं। तदनुसार, 2004-05 के वार्षिक नीति सम्बंधी वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि उन्हीं पुनर्गठन योजनाओं पर विचार किया जाएगा जिनमें जोखिम धारकों अर्थात शेयर धारक / सहकारी संस्थाओं / सरकार द्वारा निर्धारित पूंजी-पर्याप्तता मानदंडों को प्राप्त करने की सीमा तक डीआइसीजीसी द्वारा बीमा दावों के निपटान के माध्यम से चलनिधि बढ़ाये बिना पुनर्पूंजीकरण करने की रूपरेखा दी गई हैं और ऐसी योजनाएं प्रस्तुत हैं जिनमें एनपीए स्तर को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सह्य सीमा तक घटाने की रूपरेखा दी गई है।

परिसमापनाधीन शहरी सहकारी बैंकों का प्रशासन

4.36 शहरी सहकारी बैंकों पर निरंतर दृष्टि रखते हुए रिज़र्व बैंक ने शहरी बैंकिंग क्षेत्र से वित्तीय रूप से अक्षम संस्थाओं को हटाने के लिए लाइसेंस रद्द करने और लाइसेंस आवेदन अस्वीकृत करने जैसे उपाय किए। साथ ही, सहकारी समितियों के पंजीयकों से कहा गया कि वे कुछ बैंकों के संबंध में परिसमापन कार्यवाही प्रारंभ करें (परिशिष्ट सारणी IV.3)। इसके अलावा, यह पाया गया कि सहकारी समितियों के पंजीयकों द्वारा कुछ बैंकों में नियुक्त परिसमापक उस क्षेत्र में कुछ अन्य शहरी सहकारी बैंकों से सीधे जुड़े हुए थे। डीआइसीजीसी द्वारा यह भी देखा गया कि परिसमापनाधीन शहरी सहकारी बैंकों के बारे में प्रस्तुत की गई दावा सूची में अनेक खामियां थीं। इन खामियों को दूर करने की दृष्टि से सभी राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक से अनुरोध किया गया कि परिसमापकों की नियुक्ति हेतु उपयुक्त अर्हताओं सहित मानदंड निर्धारित किए जाएं। साथ ही, परिसमापन / समामेलन / विलयन / पुनर्संरचना के तहत शहरी सहकारी बैंक द्वारा भेजी गई जमा दावा सूची का किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणन करने की परिपाटी प्रारंभ की गई है।

अन्य पर्यवेक्षी पहलें

4.37 शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी बाज़ार जोखिम कम करने की दृष्टि से, शेयरों / डिबेंचरों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों संबंधी अपेक्षित मार्जिन बढ़ाकर 5 जनवरी 2004 से 50 प्रतिशत कर दी गई।

बाक्स IV.2: महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंडों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का ग्रेड निर्धारण

विनियामक प्रयोजन के लिए एक ग्रेड निर्धारण प्रणाली अपनायी गयी है जिसके अधीन शहरी सहकारी बैंकों को चार श्रेणियों (ग्रेड I/II/III/IV) में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण के मानदंड निम्न प्रकार हैं।

बिना किसी पर्यवेक्षी चिंतावाले स्वस्थ बैंक को ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले बैंक ग्रेड II (समस्याग्रस्त बैंक) के अधीन वर्गीकृत होंगे : (i) निर्धारित मानदंडों से एक प्रतिशत कम का सीआरएआर या (ii) 10 प्रतिशत या अधिक की परंतु 15 प्रतिशत से कम की निवल गैर-निष्पादक आस्तियां या (iii) पिछले वित्तीय वर्ष में निवल हानि उठायी हो अथवा (iv) पिछले वित्त वर्ष में सीआरआर / एसएलआर बनाये रखने में चूक की हो और / या वर्तमान वर्ष के दौरान सीआरआर / एसएलआर बनाये रखने में कमोबेश निरंतर चूक हुई हो।

निम्नलिखित में से किन्हीं दो शर्तों की पूर्ति करनेवाले बैंक ग्रेड III के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं : (i) सीआरएआर न्यूनतम निर्धारित स्तर से 75 प्रतिशत से नीचे हो, परंतु वह अपेक्षित स्तर के 50 प्रतिशत या अधिक हो, (ii) 10 प्रतिशत या अधिक परंतु 15 प्रतिशत तक की निवल गैर-निष्पादक आस्तियां; (iii) पिछले तीन वर्षों में से दो वर्षों के लिए निवल हानि हुई है। निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करनेवाले बैंकों को ग्रेड IV के अधीन वर्गीकृत किया जाता है: (i) सीआरएआर निर्धारित सीमा के 50 प्रतिशत से कम है और (ii) निवल गैर-निष्पादक आस्तियां 15 प्रतिशत या अधिक हैं या पिछले क्रमिक तीन वर्षों में निवल हानियां हुई हैं।

जून 2004 के अंत में 732 शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी और उन्हें ग्रेड III/IV के अधीन वर्गीकृत किया गया। करीब 307 बैंकों को ग्रेड II के रूप में वर्गीकृत किया गया है (जहां वित्तीय स्थिति में हल्की गिरावट पायी गयी), 529 बैंक ग्रेड III में हैं (जहां वित्तीय स्थिति इस प्रकार गिर गयी कि पर्यवेक्षी कार्रवाई जैसे लाभांश घोषित करने पर पाबंदी, शाखाएं खोलने पर पाबंदी, आदि जरूरी है), और 203 बैंक ग्रेड IV में है (जहां वित्तीय स्थिति इस स्तर तक खराब हो गयी है कि वहां कठोर पर्यवेक्षी कार्रवाई जैसे निदेश लागू करने, समामेलन, पुनर्संरचना करना, परिसमापन, आदि जरूरी है)।

शहरी सहकारी बैंकों का केंद्रवार ग्रेड निर्धारण

केंद्र	बैंकों की संख्या				जोड़
	ग्रेड I	ग्रेड II	ग्रेड III	ग्रेड IV	
1	2	3	4	5	**6**
अहमदाबाद	132	53	93	50	**328**
बंगलूर	105	58	115	20	**298**
भोपाल	24	18	25	15	**82**
भुवनेश्वर	1	5	4	2	**12**
चेन्नै	11	0	2	4	**17**
चंडीगढ़	31	22	66	14	**133**
गुवाहाटी	6	1	6	6	**19**
हैदराबाद	44	21	56	13	**134**
जयपुर*	27	5	6	2	**40**
जम्मू	2	2	0	0	**4**
कोलकाता	30	9	6	6	**51**
लखनऊ	57	3	12	8	**80**
मुंबई	303	61	68	31	**463**
नागपुर	75	41	38	22	**176**
नई दिल्ली	12	0	3	1	**16**
पटना	5	0	0	0	**5**
तिरुवनंतपुरम	15	8	29	9	**61**
जोड़	**880**	**307**	**529**	**203**	**1,919**

* एक शहरी सहकारी बैंक परिचालन रहित था।
टिप्पणी : 6 शहरी सहकारी बैंकों के सम्बंध में ग्रेड अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

4.38 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अन्य शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) न खोलें और उनके सभी सरकारी प्रतिभूति लेनदेनों का अनिवार्यतः भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के माध्यम से ही निपटान करें। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की प्रतिभूतियों को रखने के लिए निक्षेपागार सहभागी के यहां डिमैट खाता खोलें।

4.39 जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने और लघु उद्योग, छोटे और मझौले उद्योग तथा लघु उधारकर्ताओं हेतु वित्तपोषण का अंतर पाटने के लिए शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का सुदृढ़ विकास करने के लिए रिज़र्व बैंक के अथक प्रयास रहे हैं। हालांकि इन बैंकों को वाणिज्य बैंकों के समतुल्य बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उनके पर्यवेक्षी मानकों में सरलता लायी गयी है, तथापि कई बार यह तर्क दिया जाता है कि मुख्यतः वाणिज्य बैंकों के लिए बनाए गए उक्त मानक हो सकता है सहकारी ऋण ढांचे पर फिट न बैठें। कुछ मुख्य देशों के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के मौजूदा विनियामक स्वरूप की अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी यह दिखाती है कि वित्तीय प्रणाली के सुगमता से कार्य कर सकने को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि इन संस्थाओं में उपयुक्त वित्तीय अनुशासन लाया जाए। (बाक्स IV.3)।

बाक्स IV.3: सहकारी बैंकों का विनियमन : अंतर्राष्ट्रीय तुलना

सहकारिता के सिद्धांत का उगम यूरोप की औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक चरण में सन 1800 में पाया जाता है। पहले, समानता, इक्विटी और स्व-सहायता का तत्त्वज्ञान मुख्यतः खुदरा व्यापार के क्षेत्र तक सीमित था। जर्मनी में रैफिसन और स्कुल्ज जैसे कुछ दूरदर्शितावाले व्यक्तियों ने स्व-सहायता, स्व-जिम्मेदारी और स्व-प्रशासन की कल्पना विकसित की और यूरोप एवं शेष विश्व में उसका तेजी से प्रसार हुआ जिसके परिणामस्वरूप अब 100 से अधिक देशों में 60,000 से अधिक क्रेडिट सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं।

इस समय यूरोप में विद्यमान अधिकतर सहकारी बैकों ने यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त कर लिया है और वे विशिष्ट उत्पाद के दायरे में सदस्यों को सेवा देने पर ध्यान केन्द्रित करने विपरीत सभी प्रकार के ग्राहकों (सदस्यों और ग्राहकों जैसे) को सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यूरोपीय समुदाय के कुछ सदस्य देशों में सहकारी बैंक उल्लेखनीय रूप से सफल हो रहे हैं जैसे-दि क्रेडिट एग्रिकोल-फ्रान्स में, रैफिसन और पीपल्स बैंक-जर्मनी में, राबोबँक नीदरलैंड-नीदरलैण्डस में और आस्ट्रियन रैफिसन बैंक। यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त सहकारी बैंक अब अपने वाणिज्यिक और बचत बैंक प्रतियोगियों के साथ सामान्य बैंकिंग पर्यवेक्षी कानून के अधीन होते हैं। ऐसे सहकारी बैंकों को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दिया जाता है जो पिछले दो दशकों के दौरान अधिकतर यूरोपीय देशों में अपने वैश्विक बाजार अंश बढ़ाने के लिए बैंकिंग बाजार में एकमात्र खिलाडी रहे हैं। यूरोपीयन एसोसिएशन आफ को-आपरेटिव बैंक्स का 1970 में निर्माण हुआ जो यूरोपीय समुदाय के प्राधिकारियों के सहकारी बैंकोंसंबंधी प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है और इसमें यूरोपीय समुदाय के सभी सदस्य राज्यों-आस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फिनलैण्ड, हंगेरी, स्वीडन और पोलैण्ड के सदस्य संगठन शामिल हैं।

अमरीका में, ऋण संघ के नाम से प्रचलित सहकारी बैंक कुछ खास विशेषताओं के साथ 68 मिलियन से ज्यादा लोगों को अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी और ग्राहक उन्मुख वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में उभरे हैं। बैंकिंग कंपनियों की तरह ही अमरीका में ऋण संघों की भी दुहरी चार्टर प्रणाली है - संघीय या राज्य। राज्य चार्टर ऋण यूनियनों की जांच और पर्यवेक्षण राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है वहीं संघीय रूप से चार्टर ऋण यूनियनों की जांच और पर्यवेक्षण संघीय सरकार की एक एजेंसी नेशनल क्रेडिट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन (एनसीयूए) द्वारा किया जाता है। एनसीयूए राज्य चार्टर और संघ द्वारा बीमांकित संस्थाओं की भी जांच की जाती है। एनसीयूए चार्टर करने, पर्यवेक्षण करणे, जांच करने और फेडरल क्रेडिट यूनियनों की बीमा कराने के अलावा ऐसी राज्य चार्टर ऋण यूनियनों के लेखों का बीमा कराता है जो संघ द्वारा बीमा कराये जाने का स्वैच्छिक रूप से विकल्प देते हैं या जिनके लिए कानून द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होती है। अमरीका में ऋण संघ उद्योग के अनेक स्तर हैं : ऋण संघ, सहकारी यूनियनों की लोकल चॅप्टर और स्टेट लीग, कार्पोरेट क्रेडिट यूनियन्स, राष्ट्रीय क्रेडिट यूनियन ''बैंकर्स'' बैंक और नेशनल ट्रेड एसोसिएशन। विनियामक ढांचे में संघीय एजेंसी, उस एजेंसी की चलनिधि शाखा और राज्य विनियामक शामिल होते हैं। कंपनी ऋण संघ (सीसीयू) ऐसे ऋण संघ होते हैं जो कि अपने सदस्यों को निवेश, निपटान और चलनिधि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। सीसीयू ऋण की मांग उच्च होने पर ऋण संघों को जमाराशियां स्वीकार करके और उधार देकर, उनके लिए बैंकों के बैंक का दायित्व निभाता है। सीसीयू अपने सदस्यों को चेक समाशोधन, स्वचलित समाशोधन गृह प्रक्रिया और अन्य सेवाएं भी देता है तथा ऋण संघ समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। चार्टर सामान्यतः अपेक्षित आवेदन पत्र, उद्देश्य, सदस्यता, शाखाकरण और विनियामक पर्यवेक्षण हेतु नियम स्थापित करता है। स्टेट-चार्टर्ड ऋण संघों की जांच व पर्यवेक्षण राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जबकि संघीय - चार्टर्ड क्रेडिट यूनियनों (ऋण संघों) की जांच व पर्यवेक्षण नेशनल क्रेडिट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन (एनसीयूए) द्वारा किया जाता है जोकि संघीय सरकार की एजेंसी है। एनसीयूए अपने दो नेशनल क्रेडिट यूनियन शेयर इंशोरेंस फंड (एनसीयूएसआइएफ) तथा सेंट्रल लिक्विडिटी फैसिलिटी (सीएलएफ) के माध्यम से ऋण संघों के बीमा, चलनिधि और परिसमापन में सहायता करता है। एनसीयूए स्टेट-चार्टर्ड, संघीय बीमांकित संस्थाओं की जांच भी करता है।

अमरीकी ऋण संघ प्रणाली राज्य और संघीय दोनों की शक्ति दुहरे चार्टर के मूल सिद्धांत पर टिकी हुई है। दुहरी चार्टर प्रणाली का अर्थ है ''दो'' मजबूत व स्पष्ट चार्टर के बीच अर्थपूर्ण विकल्प राज्य और संघ का होना। ऋण संघ को मतदान करके कोई चार्टर चुनके, अधिनिर्णय पारित करने की क्षमता से चार्टरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है जिससे विनियामकों (राज्य और संघीय दोनों) को सुरक्षा और मजबूती का उच्च स्तर बनाए रखकर उनकी जांच में कुशलता बढ़ाने, लागत घटाने और विनियमन में अभिनव दृष्टिकोण अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है। फलतः यह जांच कुशलता और अभिनव दृष्टिकोण एक बार सफल हो जाने पर इसका पूरी प्रणाली में प्रसार हो जाता है। दुहरी चार्टर की धारणा भी ऋण संघ प्रणाली हेतु अमूल्य सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराती है।

आस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में काफी पहले 1905 से किसी ना किसी रूप में क्रेडिट सहकारी संस्थाएं विद्यमान थी। आस्ट्रेलिया में पहला स्टेट-को-आपरेटिव एक्ट 1923 में पारित किया गया तथा 1941 में अधिक लचीले स्माल लोन एक्ट से उसे आशोधित किया गया। सिडनी में 1946 में पहले आधुनिक क्रेडिट संघ का पंजीकरण किया गया। अधिकतर क्रेडिट संघ आरंभिक रूप में पैरिश या समुदाय अभिमुखी रहें। तथापि, मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और मालिक वर्ग ने तत्परता से सहकारिता को अपना लिया और वर्तमान गतिविधि उद्योग आधारित क्रेडिट संघों, घनिष्ठ संबंधों पर आधारित क्रेडिट संघों और सामुदायिक क्रेडिट संघों का मिला-जुला रूप है।

आस्ट्रेलिया में, वित्तीय प्रणाली पूछताछ 'दि वैलिस रिपोर्ट' की सिफारिशें लागू करने का निर्णय लिया गया था जिसमें ऋण संघों, भवन समितियों और बैंकों सहित जमाराशि लेने वाली सभी संस्थाओं के लिए एकही विवेकपूर्ण विनियामक रखने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए यह तर्क दिया गया था कि जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी संस्थाओं को उपभोक्ताओं को सुरक्षा का एक जैसा स्तर उपलब्ध कराना चाहिए। जुलाई 1999 में आस्ट्रेलिया के सभी ऋण संघ राज्य आधारित वित्तीय संस्था योजना से आस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेग्यूलेशन एथॉरिटी (एपीआरए) और आस्ट्रेलियन सिक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमिशन (एएसआइसी) के तहत विवेकपूर्ण और कंपनी विनियमन की नई राष्ट्रीय प्रणाली की ओर मुड़ गए। परिणामतः, ऋण संघों का पर्यवेक्षण भी बैंकों सहित अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के समान स्तर पर ही किया जाता है। नई कंपनी विनियामक प्रणाली के तहत ऋण संघ निगम कानून के तहत शेयरों से लिमि. कंपनियां बनती हैं। ऋण संघ का प्रत्येक सदस्य एक मत के साथ शेयर धारक बनता है। इस प्रकार ऋण संघ शेयरों से लिमि. कंपनियों जैसी ही, ऋण संघ आंदोलन से विकसित हुए पारस्परिकता के सिद्धांत से बद्ध होते हैं। जुलाई 1999 से सभी ऋण संघ सार्वजनिक कंपनियां बने हैं जोकि निगम अधिनियम द्वारा नियंत्रित हैं और आस्ट्रेलियन सिक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमिशन (एएसआइसी) द्वारा विनियमित हैं। ऋण संघ विनियामक ढांचे के भीतर और आस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेग्यूलेशन एथॉरिटी के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। यह ढांचा जोखिम प्रबंधन, पूंजी-पर्याप्तता और प्रकटीकरण के लिए उच्च विवेकपूर्ण मानक उपलब्ध करता है।

संदर्भ :

जी.रावोट (1994),दि चैलेंज फेसिंग यूरोपीयन को-आपरेटिव बैंक्स, दि वर्ल्ड आफ को-आपरेटिव एन्टरप्राइज, प्लूंकेट फाऊंडेशन।

टी.थॉमस (1994), दि फ्यूचर डेवलपमेंट आफ को-आपरेटिव बैंक्स, दि वर्ल्ड आफ को-आपरेटिव एन्टरप्राइज, प्लूंकेट फाउंडेशन।

नेशनल क्रेडिट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, अमरीका, आस्ट्रेलियन प्रुडेंशियल रेग्युलेटरी एथॉरिटी और आस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट आफ क्रेडिट यूनियन डाइरेक्टर्स की आधिकारिक वेबसाइट।

संसाधन संग्रहण तथा विनियोजन

4.40 वर्ष 2003-04 में शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां और अग्रिम 2002-03 की तुलना में क्रमशः 8 प्रतिशत और 3 प्रतिशत बढ़ें तथा मार्च 2004 के अंत में वे क्रमशः 1,10,256 करोड़ रुपये और 67,930 करोड़ रुपये के हो गये। 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार 3,267 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी ने पिछले मार्च 2003 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। (चार्ट IV.2)।

4.41 वर्ष 1966 में जब शहरी सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियां पर यथालागू) के अंतर्गत लाया गया तब 1,106 शहरी सहकारी बैंक ऐसे थे जिनकी स्वाधिकृत निधियां 58 करोड़ रुपये थी तथा उनकी जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः 153 करोड़ रुपये और 167 करोड़ रुपये के थे। 31 मार्च 2004 को 1, 924 बैंक हो गये जिनकी स्वाधिकृत निधियां 12,348 करोड़ रुपये की थी और उनकी जमाराशियां और अग्रिमों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी और वे क्रमशः 1,10,256 करोड़ रुपये और 67,930 करोड़ रुपये के थे। शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति क्षेत्रवार आधार पर व्यापक क्षेत्रीय भिन्नता दर्शाती है (सारणी IV.7)।

चार्ट IV.2: शहरी सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन

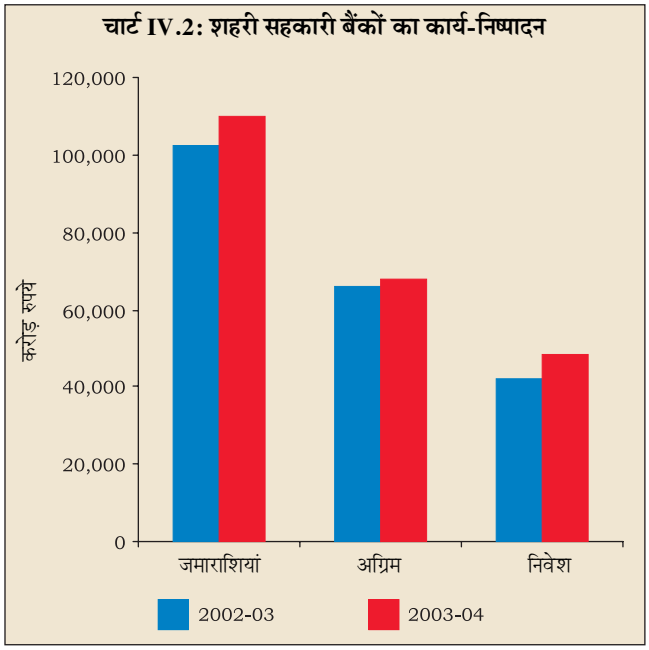

निवेश

4.42 सभी शहरी सहकारी बैंकों के एसएलआर निवेश 38,739 करोड़ रुपये की तुलना में मार्च 2004 के अंत में बढ़कर 45,299 करोड़ रुपये के हो गये, जो मार्च 2003 के अंत की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं जिसका आंशिक कारण है गैर एसएलआर निवेशों से भिन्न निवेशों में निधियों का विनियोजन। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बांडों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयरों तथा यूटीआइ की यूनिटों में गैर-एसएलआर निवेश मार्च 2003 के अंत के 3,349 करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2004 के अंत में 2,921 करोड़ रुपये के रह गये।

सारणी IV.7: शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्रवार वित्तीय संकेतक

(मार्च 2004 के अंत में स्थिति)

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	शेयर पूंजी	भारमुक्त प्रारक्षित निधि	जमाराशियां	अग्रिम	निवेश	ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद	440	1,584	16,279	9,703	8,305	59.6
बंगलूर	355	1,018	8,353	5,372	3,277	64.3
भोपाल	47	77	1,159	613	532	52.9
भुवनेश्वर	22	38	606	345	313	56.8
चंडिगढ़	24	40	568	325	246	57.2
चेन्नै	146	162	3,132	2,121	1,342	67.7
गुवाहाटी	8	8	276	135	121	48.8
हैदराबाद	111	145	2,113	1,379	924	65.2
जयपुर	59	84	1,052	612	442	58.1
जम्मू	4	4	184	112	52	60.5
कोलकाता	96	107	1,750	929	969	53.1
लखनऊ	138	262	2,310	1,442	781	62.4
मुंबई	1,468	4,957	60,725	37,424	25,842	61.6
नागपुर	239	399	8,628	5,628	3,615	65.2
नई दिल्ली	36	83	850	308	415	36.3
पटना	3	7	30	17	15	56.4
तिरूवनन्तपुरम	71	105	2,240	1,467	1,029	65.5
कुल	**3,267**	**9,082**	**1,10,256**	**67,930**	**48,220**	**61.6**

गैर-निष्पादक आस्तियां

4.43 सकल गैर-निष्पादक अग्रिम मार्च 2003 के अंत के 12,509 करोड़ रुपये से 5 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 के अंत तक 11,922 करोड़ रुपये के रह गये। निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में इस अवधि में 12 प्रतिशत की गिरावट आयी और वे 6,428 करोड़ रुपये से गिरकर 5,683 करोड़ रुपये के रह गये (सारणी IV.8)। प्रतिशत की दृष्टि से सकल गैर-निष्पादक आस्तियां 19.0 प्रतिशत से गिरकर 17.6 प्रतिशत रह गयीं तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियां समीक्षाधीन अवधि में 13.0 प्रतिशत से गिरकर 11.1 प्रतिशत रह गयीं। तथापि, समग्र दृष्टि से सकल और निवल गैर-निष्पादक निवेशों में क्रमशः 13 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे इसी अवधि में क्रमशः 324 करोड़ रुपये से 365 करोड़ रुपये और 242 करोड़ रुपये से 276 करोड़ रुपये के हो गये।

सारणी IV.8: शहरी सहकारी बैंकों की सकल गैर-निष्पादक आस्तियां

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष (मार्च के अंत में)	सूचना देनेवाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल गैर-निष्पादक आस्तियां
1	2	3	4
2000	1,748	4,535	12.2
2001	1,942	9,245	16.1
2002	1,937	13,706	21.9
2003	1,941	12,509	19.0
2004	1,926	11,922	17.6

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.44 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का आकार 2003-04 के दौरान घटा है जो यह दर्शाता है कि शहरी सहकारी बैंकों का क्षेत्र सिकुड़ा है तथा उनकी संख्या में मामूली-सी गिरावट आयी है। उनकी देयताओं की संरचना मोटे तौर पर वही रही और उनकी जमाराशियों के अंश में मामूली-सी गिरावट आयी (सारणी IV.9)। आस्तियों की दृष्टि से निवेशों का अंश बढा जबकि ऋणों और अग्रिमों के अंश में गिरावट आयी। यह वर्ष 2002-03 में देखी गयी प्रवृत्ति तथा वित्तीय क्षेत्र के अन्य घटकों में हुई गतिविधियों के अनुरूप ही है।

4.45 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों ने आय की तुलना में व्यय में तीव्रतर गिरावट आने के कारण निवल लाभ दर्ज किये (सारणी IV.10)। कुल आय के अनुपात में ब्याज आय में गिरावट जारी रही। यह आस्ति संरचना में हुए बदलाव को दर्शाता है तथा

सारणी IV.9: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां *

(मार्च के अंत तक)

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मद	2003	2004
1	2	3	4
1.	पूंजी	627	698
		(1.2)	(1.2)
2.	आरक्षित पूंजी	7,451	7,656
		(14.3)	(13.6)
3.	जमाराशियां	36,683	39,274
		(70.2)	(69.8)
4.	उधार राशियां	571	642
		(1.1)	(1.1)
5.	अन्य देयताएं	6,949	7,986
		(13.3)	(14.2)
	कुल देयताएं	**52,281**	**56,256**
		(100.0)	**(100.0)**
1.	नकदी	2,834	3,060
		(5.4)	(5.4)
2.	बैंकों में शेष राशि	2,186	2,207
		(4.2)	(3.9)
3.	मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	306	424
		(0.6)	(0.8)
4.	निवेश	13,819	16,796
		(26.4)	(29.9)
5.	ऋण तथा अग्रिम	23,854	24,044
		(45.6)	(42.7)
6.	अन्य आस्तियां	9,281	9,727
		(17.8)	(17.3)
	कुल आस्तियां	**52,281**	**56,256**
		(100.0)	**(100.0)**

* आंकड़ों में 2003-04 के लिए 50 लेखा परीक्षित और 5 अ-लेखापरीक्षित बैंक तथा 2002-03 के लिए 57 बैंक शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयताएं /आस्तियों का प्रतिशत है।

2. पूर्णांकन के कारण घटक जोड़ से मेल नहीं खा सकते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

बैंकिंग क्षेत्र में देखी गयी प्रवृत्ति के अनुरूप है। ब्याज व्यय तथा परिचालनगत व्यय का अंश बढ़ा है, जबकि प्रावधानीकरण तथा आकस्मिक देयताओं का अंश समग्र राशि की दृष्टि से लगभग आधा रह गया है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के प्रमुख वित्तीय कार्य-निष्पादन के बैंकवार ब्यौरे परिशिष्ट सारणी IV.4 तथा IV.5 में दर्शाये गये हैं।

सारणी IV.10: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2003	2004	कॉलम(2) की तुलना में कॉलम (3) की घटबढ़	
			समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय	**5,291**	**4,995**	**-295**	**-5.6**
(i+ii)	**(100.0)**	**(100.0)**		
i) ब्याज आय	4,418	4,100	-318	-7.2
	(83.5)	(82.1)		
ii) अन्य आय	872	896	23	2.6
	(16.5)	(17.9)		
आ.व्यय	**5,846**	**4,646**	**-1,200**	**-20.5**
(i+ii+iii)	**(100.0)**	**(100.0)**		
i) ब्याज व्यय	3,380	2,902	-474	-14.0
	(57.8)	(62.6)		
ii) प्रावधान और	1,349	653	-695	-51.6
आकस्मिक देयताएं	(23.1)	(14.1)		
iii) परिचालनगत व्यय	1,118	1,086	-31	-2.8
	(19.1)	(23.4)		
जिसमें से : वेतन बिल	563	594	29	5.2
	(9.6)	(12.8)		
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	**793**	**1,003**	**210**	**26.4**
ii) निवल लाभ	**-555**	**350**	**905**	**-163.0**
ई. कुल आस्तियां	**52,281**	**56,256**	**3,976**	**7.6**

* आंकड़ों में 2003-04 के लिए 50 लेखा परीक्षित और 5 अ-लेखा परीक्षित तथा 2002-03 के लिए 57 बैंक शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित योग के प्रतिशत अंश है।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों के जोड़ कुल जोड़ से मेल नहीं खा सकते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

4.46 भारत में अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली में सर्वोच्च (राज्य) स्तर पर हैं राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती (जिला) स्तर पर मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा आधार (ग्राम) स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं जो अनिवार्यतः उत्पादन प्रयोजनों के लिए अल्पावधिक ऋण संबंधी आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए बनायी गयी हैं। राज्य सहकारी बैंक और मध्यवर्ती सहकारी बैंक वर्षों से अपनी व्याप्ति और जनता की पहुंच की दृष्टि से पर्याप्त रूप से विकसित हुए हैं और मार्च 2003 के अंत में उनकी संख्या क्रमशः 30 और 367 थी। अधिकतर राज्य सहकारी बैंक और मध्यवर्ती सहकारी बैंक 1 मार्च 1966, जिस तारीख को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहकारी बैंकों के लिए लागू किया गया उससे पहले स्थापित हुई हैं। वर्ष 1966 से रिज़र्व बैंक ने केवल 13 राज्य सहकारी बैंक और 73 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस मंजूर किये। अधिकतर राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में कोई प्रत्यक्ष सुधार दिखादी नहीं दिया है। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संचित हानि 2000-01 के 3,217 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 4,442 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मांग के प्रति वसूली प्रतिशत 2000-01 के क्रमशः 84 प्रतिशत और 67 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में क्रमशः 79 प्रतिशत और 61 प्रतिशत हो गया। राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सकल ऋण के प्रति सकल गैर-निष्पादक आस्तियां मार्च 2001 के अंत में क्रमशः 12.7 प्रतिशत और 18.3 प्रतिशत थीं जिनमें वृद्धि होकर 31 मार्च 2003 को वे क्रमशः 18 प्रतिशत और 22 प्रतिशत हो गयीं। अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में से कई संस्थाएं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 11 (1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम पूंजी और प्रारक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं।

4.47 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिनसे दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचा बनता है उनके पास अपना स्वयं का संसाधन आधार नगण्य होता है और इनमें से अधिकतर उधार लेकर संसाधन जुटाते हैं। उनके खराब वसूली निष्पादन से उनकी क्षमता, विशेषतः नये और चूक न करनेवाले सदस्यों की ऋण आवश्यकतों की पूर्ति करने की प्राथमिक स्तर की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप चुकता शेयर पूंजी कम है जिससे उनकी उधार लेने की क्षमता नियंत्रित रहती है और परिणामतः सीमित संसाधनों के कारण अनिवार्य रूप से कारोबार का स्तर कम हो जाता है।

4.48 केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2004-05 के अपने बजट भाषण में की गयी घोषणा के बाद भारत सरकार ने प्रो.ए.वैद्यनाथन की अध्यक्षता में सहकारी संस्थाओं के संबंध में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है। इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं : (i) अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में विभिन्न समितियों द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के लिए कार्यान्वयन किये जाने योग्य कार्य योजना की सिफारिश करना; (ii) संबंधित कानूनों के प्रयोजन के लिए आवश्यक यशोचित विनियामक ढांचे और आशोधनों संबंधी सुझाव देना; (ii) सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता का मूल्यांकन करना और ऐसी सहायता की विधि, उसके साझेदारी स्वरूप एवं चरणबद्धता के बारे में सुझाव देना; एवं (iv) ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की कार्यक्षमता और अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए आवश्यक अन्य कोई उपाय के बारे में सुझाव देना। यह अपेक्षित है कि यह कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा।

गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी विवेक-सम्मत दिशा-निदेश

4.49 राज्य सहकारी बैंकों तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा किये गये निवेशों को सुव्यवस्थित करने और उनके गैर-एसएलआर निवेश संविभाग से होने वाले जोखिम को सीमित रखने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी दिशा-निदेशों की तर्ज पर फरवरी 2004 में गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी विवेक-सम्मत दिशा निदेश जारी किये गये।

अन्तर-शाखा समायोजन खातें - निवल नामे शेष राशियों के लिए प्रावधानीकरण

4.50 राज्य सहकारी बैंकों तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विभिन्न वित्तीय संकेतकों से यह देखा गया कि अन्तर-शाखा समायोजन खातों में बकाया नामे की प्रविष्टियों की संख्या और राशि तथा उसके अंतर्गत आनेवाली राशि वर्षों से बढ़ती जा रही है। सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानकों को सुस्थापित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि इनके अन्तर शाखा खातों में बकाया निवल नामे शेष राशियों के लिए चरणबद्ध रूप में विवेकसम्मत प्रावधानीकरण के मानदण्ड निर्धारित किये जाएं। ये अनुदेश जनवरी 2004 में जारी किये गये।

राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करना

4.51 वर्ष 2003-04 के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22 के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक या मध्यवर्ती सहकारी बैंक को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया और लाइसेंस-प्राप्त राज्य सहकारी बैंक और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या क्रमशः 13 और 73 रही।

4.52 चार मध्यवर्ती सहकारी बैंकों अर्थात् शिवसागर डीसीसीबी लि. (असम), मधेपुरा-सुप्पल डीसीसीबी लि., दरभंगा डीसीसीबी लि. (बिहार) तथा रायगढ़ डीसीसीबी लि. (छत्तीसगढ़) को लाइसेंस देने के आवेदन पत्र समीक्षाधीन अवधि के दौरान अस्वीकृत किये गये जिससे ऐसे मामलों की संख्या सात हो गयी।

राज्य सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंकों को सूचीबद्ध करना

4.53 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अन्तर्गत 2003-04 के दौरान किसी भी राज्य सहकारी बैंक को दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 31 मार्च 2004 को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या 16 पर अपरिवर्तित बनी रही।

4.54 प्रमुख घटकों (अर्थात पूंजी, प्रारक्षित निधि, जमाराशियां, उधार राशियां और अन्य देयताएं) की दृष्टि से राज्य सहकारी बैंकों की देयताओं की संरचना मार्चांत 2002 और मार्चांत 2003 के बीच की अवधि में स्थूल रूप में अपरिवर्तित बनी रही (सारणी IV.11)। अखिल भारतीय स्तर पर मांग के अनुपात के रूप में राज्य सहकारी बैंकों का वसूली सम्बंधी कार्य-निष्पादन 2001-02 के 82 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 79 प्रतिशत रह गया। विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में वसूली कार्य में राजस्थान और सिक्किम में काफी सुधार हुआ, जबकि आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में इसमें काफी गिरावट आयी है । जिन राज्यों में, राज्य सहकारी बैंकों ने 2002-03 के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक की वसूली प्राप्त की है, उनमें गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल हैं।

सारणी IV.11: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियों की संरचना

(मार्च के अंत तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	2002	2003
1	2	3	4
1	पूंजी	832	812
		(1.5)	(1.4)
2	आरक्षित निधि	5,880	6,348
		(10.2)	(11.9
3	जमाराशियां	36,191	36,658
		(63.0)	(63.4)
4	उधार राशियां	11,673	11,365
		(20.3)	(19.7)
5	अन्य देयताएं	2,902	2,579
		(5.0)	(4.6)
	कुल देयताएं	**57,478**	**57,762**
		(100.0)	**(100.0)**
1	नकदी तथा बैंक शेष	3,576	3,693
		(6.2)	(6.4)
2	निवेश	16,825	17,210
		(29.3)	(29.8)
3	ऋण तथा अग्रिम	32,678	32,798
		(56.8)	(56.7)
4	अन्य आस्तियां	4,399	4,061
		(7.7)	(7.1)
	कुल आस्तियां	**57,478**	**57,762**
		(100.0)	**(100.0)**

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयताओं / आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. 'प्रारक्षित निधि' में कुछ बैंकों द्वारा लाभहानि खाते में अलग से दिखाया गया जमा शेष शामिल है।
3. राज्य / संघ शासित प्रदेश - राजस्थान, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में स्थित राज्य सहकारी बैंकों के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
4. 2002-03 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.55 वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की समग्र आय और व्यय में गिरावट आयी। तथापि, निवल लाभ में वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण था - विविध आय में वृद्धि तथा वेतन बिल में कमी (सारणी IV.12)। सूचना देने वाले 24 राज्य सहकारी बैंकों में से 21 ने कुल मिलाकर 463 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है, जबकि 3 ने कुल 29 करोड़ रु. की हानि उठायी है।

मध्यवर्ती सहकारी बैंक

4.56 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताओं की संरचना मार्च 2002 के अंत से मार्च 2003 के अंत तक की अवधि के बीच मोटे तौर पर अपरिवर्तित बनी रही (सारणी IV.13)। इनकी जमाराशियां कुल देयताओं की लगभग दो-तिहाई बनी रहीं, जबकि प्रारक्षित निधियों ने 19.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

4.57 अखिल भारतीय स्तर पर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वसूली कार्य-निष्पादन वर्ष 2001-02 के 66 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2002-03 के दौरान 61 प्रतिशत रह गया। कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में वसूली कार्य में सुधार हुआ जबकि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में वसूली कार्य में भारी गिरावट आयी। पंजाब और उत्तरांचल ने 2002-03 के दौरान 80 प्रतिशत से अधिक की वसूली प्राप्त की (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

सारणी IV.12: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2002	2003	कॉलम(2) की तुलना में कॉलम (3) की घटबढ़	
			समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय	**5,809**	**5,572**	**-237**	**-4.1**
(i+ii)	**(100.0)**	**(100.0)**		
i) ब्याज आय	5,508	5,229	-279	-5.1
	(94.8)	(93.8)		
ii) अन्य आय	301	343	42	14.0
	(5.2)	(6.2)		
आ. व्यय	**5,632**	**5,137**	**-495**	**-8.8**
(i+ii+iii)	**(100.0)**	**(100.0)**		
i) ब्याज व्यय	4,192	3,978	-214	-5.1
	(74.4)	(77.5)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं	1,024	700	-324	-31.6
	(18.2)	(13.6)		
iii) परिचालनगत व्यय	416	458	43	10.3
	(7.4)	(8.9)		
जिसमें से: वेतन बिल	304	284	-20	-6.6
	(5.4)	(5.5)		
इ. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	1,201	1,135	-66	-5.5
ii) निवल लाभ	177	435	258	145.8
ई. कुल आस्तियां	**57,478**	**57,762**	**284**	**0.5**

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।
2. 'प्रारक्षित निधि' में कुछ बैंकों द्वारा लाभहानि खाते में अलग से दिखाया गया जमा शेष शामिल है।
3. राज्य / संघशासित प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में स्थित राज्य सहकारी बैंकों के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
4. 2002-03 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत :नाबार्ड

सारणी IV.13:मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताओं और आस्तियों की संरचना
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	2002	2003
1	2	3	4
1	पूंजी	3,424	3,569
		(3.2)	(3.1)
2	प्रारक्षित निधियां	10,717	12,829
		(9.9)	(11.2)
3	जमाराशियां	68,181	72,344
		(63.3)	(63.0)
4	उधार राशियां	18,820	19,243
		(17.5)	(16.7)
5	अन्य देयताएं	6,523	6,848
		(6.1)	(6.0)
	कुल देयताएं	**1,07,665**	**1,14,833**
		(100.0)	**(100.0)**
1	नकदी और बैंक शेष	7,206	7,704
		(6.7)	(6.7)
2	निवेश	28,958	29,813
		(26.9)	(26.0)
3	ऋण और अग्रिम	59,316	63,198
		(55.1)	(55.0)
4	अन्य आस्तियां	12,185	14,118
		(11.3)	(12.3)
	कुल आस्तियां	**1,07,665**	**1,14,833**
		(100.0)	**(100.0)**

टिप्पणी : 1.कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल योग का प्रतिशत हैं।
2. 'प्रारक्षित निधि' में कुछ बैंकों द्वारा लाभहानि खाते में अलग से दिखाया गया जमा शेष शामिल है।
3. जम्मू एवं कश्मीर और बिहार राज्य में स्थित मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
4. 2002-03 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.58 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने कुल मिलाकर 2002-03 के दौरान भी हानियां दर्ज करना जारी रखा (सारणी IV.14 और IV.15)। ब्याज आय कुल आय की लगभग 95 प्रतिशत बनी रही, जबकि ब्याज व्यय कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई बना रहा। 2002-03 के दौरान सूचना देने वाले 339 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 234 ने 734 करोड़ रु. का लाभ दर्ज किया, जबकि 105 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में 859 करोड़ रु. की हानि हुई। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की समग्र लाभ प्रदता में आयी गिरावट का कारण प्रावधानीकरण तथा आकस्मिक देयताओं के लिए उच्चतर व्यय का होना है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

4.59 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो अल्पावधिक सहकारी ऋण की आधारभूत स्तर की संस्थाएं हैं, अलग-अलग उधारकर्ताओं से सीधे सम्पर्क करती हैं, उन्हें, अल्पावधि से लेकर मध्यावधि तक के ऋण स्वीकृत करती हैं तथा वितरण और विपणन के कार्य भी करती हैं। 31 मार्च 2003 को लगभग 120 मिलियन सदस्यों के साथ 1,12,309 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां थी। तथापि भारी संख्या में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को गम्भीर वित्तीय समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जो मुख्यतः स्वाधिकृत निधियों, जमाराशियों में भारी क्षरण और निम्न वसूली दरों के कारण होती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न नीतियां अपनायी गयीं। विशेषतः नाबार्ड प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बुनियादी संरचना को विकसित करने के लिए निधियां उपलब्ध करता रहा है।

गैर-निष्पादक आस्तियों की स्थिति

4.60 ग्रामीण सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां उच्च बनी रहीं। तथापि उच्चतर स्तर अर्थात राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता निम्नतर स्तर अर्थात मध्यवर्ती सहकारी बैंक की तुलना में सापेक्षतः बेहतर थी (सारणी IV.16)।

सारणी IV.14: मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(मार्चांत)

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2002	2003	कॉलम (2) की तुलना में कॉलम (3) में घटबढ़	
			समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**11,546**	**11,808**	**262**	**2.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) ब्याज से आय	10,911	11,188	277	2.5
	(94.5)	(94.8)		
ii) अन्य आय	635	620	-15	-2.4
	(5.5)	(5.2)		
आ. व्यय	**11,579**	**11,933**	**354**	**3.1**
(i+ii+iii)	**(100.0)**	**(100.0)**		
i) ब्याज व्यय	7,693	7,711	18	0.2
	(66.5)	(64.6)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं	2,065	2,286	221	10.7
	(17.8)	(19.2)		
iii) परिचालनगत व्यय	1,821	1,936	115	6.3
	(15.7)	(16.2)		
जिसमें से : वेतन बिल	1,402	1,441	39	2.8
	(12.1)	(12.1)		
इ. लाभ				
i) परिचालन-गत लाभ	**2,031**	**2,162**	**131**	**6.5**
ii) निवल लाभ	**-34**	**-125**	**–**	**–**
ई. कुल आस्तियां	**1,07,665**	**1,14,833**	**7,168**	**6.7**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
2. 'प्रारक्षित निधि' में कुछ बैंकों द्वारा लाभहानि खाते में अलग से दिखाया गया जमा शेष शामिल है।
3. जम्मू एवं कश्मीर और बिहार राज्यों के मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
4. 2002-03 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड

सारणी IV.15: सहकारी बैंकों के चयनित वित्तीय अनुपात

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

मद	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		राज्य सहकारी बैंक		मध्यवर्ती सहकारी बैंक	
	2003	2004	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
परिचालन लाभ	1.5	1.8	2.1	2.0	1.9	1.9
निवल लाभ	-1.1	0.6	0.3	0.9	–	-0.1
आय	10.1	8.9	10.1	9.7	10.7	10.3
ब्याज से आय	8.5	7.3	9.6	9.1	10.1	9.8
अन्य आय	1.7	1.6	0.5	0.6	0.6	0.6
व्यय	11.2	8.6	9.8	8.9	10.8	10.4
ब्याज व्यय	6.5	8.3	7.3	6.9	7.2	6.7
परिचालन व्यय	6.5	5.2	0.7	0.8	1.7	1.7
वेतन बिल	1.1	1.1	0.5	0.5	1.3	1.3
प्रावधान तथा आकस्मिकताएं -देयताएं	2.6	1.2	1.8	1.2	1.9	2.0
कीमत-लागत-अंतर (स्प्रेड) (निवल ब्याज आय)	2.0	2.1	2.3	2.2	3.0	3.0

टिप्पणी : ये आंकड़े संबंधित समूह की कुल आस्तियों के प्रतिशत हैं।

सारणी IV.16: सकल गैर-निष्पादक आस्तियों की संरचना

(31 मार्च 2003 की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

आस्ति गुणवत्ता	राज्य सहकारी बैंक	मध्यवर्ती सहकारी बैंक
1	2	3
अवमानक आस्तियां	3,535	7,603
संदिग्ध आस्तियां	2,443	5,060
हानिगत आस्तियां	306	1,199
कुल गैर-निष्पादक आस्तियां	6,284	13,862
बकाया ऋणों के प्रति गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत	18.0	22.0

4.61 सहकारी ऋण संरचना के मामले में खराब वसूली संबंधी कार्य-निष्पादन बढ़ती हुई चिंता का विषय बना रहा। 2002-03 के दौरान अल्पावधिक और दीर्घावधिक ऋण ने वसूली की दर में गिरावट देखी है।

4.62 ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं द्वारा झेली जा रहीं भारी गैर-निष्पादक आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए नाबार्ड ने गैर-निष्पादक आस्तियों की एक बारगी निपटान योजना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जारी दिशा निदेशों की तर्ज पर दिशानिदेश जारी किये हैं। ये दिशानिदेश सभी श्रेणी के ऋणों और अग्रिमों के अन्तर्गत अलग-अलग उधारकर्ताओं के लिए 10 लाख रु. या उससे कम तथा संस्थाओं के लिए 10 करोड़ रु. या उससे कम की गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए समझौता द्वारा निपटान के लिए एक सरल गैर-विवेकाधीन और गैर-विभेदकारी प्रणाली उपलब्ध कराते हैं। यह योजना प्रारंभ में 30 सितंबर 2003 तक परिचालन में रही और बाद में प्रणाली सभी ऋणों के अन्तर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों की एक बारगी निपटान के लिए मामलों की स्वीकृति की तारीख 31 जुलाई 2004 तक तथा निपटान की प्रक्रिया पूरी करने की तारीख 31 अक्तूबर 2004 तक बढ़ा दी गयी। अन्ततः सहकारी बैंकों को ये विवेकाधीन शक्तियां दी गयीं कि वे अपने निदेशक बोर्ड और सहकारी समितियों के पंजीयक के अनुमोदन से उपर्युक्त सीमा से अधिक की राशि तथा तारीख के लिए गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि के एक बारगी निपटान की योजना बना सकते हैं।

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

4.63 दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शामिल हैं। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कुल संख्या 20 ही है परंतु प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की संख्या 768 हैं।

कार्य-निष्पादन

4.64 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों और प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य-निष्पादन के महत्वपूर्ण मानदण्ड 31 मार्च 2002 और 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार सारणी IV.17 में दिये गये हैं।

4.65 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी 8 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्शाती है, जबकि प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है। दोनों प्रकार की मीयादी ऋणदात्री ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की जमाराशियों में 2002-03 के दौरान कमी आयी है। यह गिरावट राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जमाराशियों में आयी (4.4 प्रतिशत की) गिरावट के मुकाबले प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की जमाराशियों के मामले में (13.3 प्रतिशत) काफी ज्यादा थी। दूसरी ओर, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी ऋण और अग्रिमों में क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के बकाया ऋण

सारणी IV.17: दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना का कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	रा.स.कृ. ग्रा.वि.बैं.		प्रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैं.	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
संख्या	20	20	768	768
शेयर पूंजी	676	732	856	891
जिसमें से:	89	90	122	128
राज्य सरकार				
प्रारक्षित निधि	1,808	2,159	1,637	1,839
जमाराशियां	571	546	256	222
उधार राशियां	14,845	15,910	10,334	11,217
ऋण और अग्रिम (जारी किये गये)	2,746	2,964	2,045	2,151
बकाया ऋण और अग्रिम	14,147	15,385	9,982	10,775

टिप्पणी : 1. वर्ष 2003 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. संघीय संरचना में बदलाव के कारण 1 अक्तूबर 2001 को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रा.स. कृ.ग्रा.वि.बैंक की आस्तियों और देयताओं को शिखर बैंक तथा जि.म.कृ.ग्रा.म.वि.बैं. के बीच बांट दिया गया है।

सारणी IV.18: कार्य-परिणाम -रा स कृ ग्रा वि बैंक तथा प्रा स कृ ग्रा वि बैंक

एजेंसी/वर्ष	कुल संख्या	लाभ अर्जन		हानि उठाना	
		संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6
रा स कृ ग्रा वि बैंक					
2000-01	19	10	90	9	129
2001-02	20	9	86	11	180
2002-03	20	8	61	12	163
प्रा स कृ ग्रा वि बैंक					
2000-01	732	273	49	459	165
2001-02	768	191	47	577	294
2002-03	768	226	54	542	330

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

और अग्रिम (31 मार्च 2002 के) 14,147 करोड़ रु. से बढ़कर (31 मार्च 2003 को) 15,385 करोड़ रु. के हो गये, जो 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाते हैं। इसी प्रकार, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के बकाया ऋण और अग्रिमों की राशियां (31 मार्च 2002 की) 9,982 करोड़ रु. से बढ़कर (31 मार्च 2003 को) 10,775 करोड़ रु. की हो गयीं जो 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है।

कार्य परिणाम

4.66 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तीन वर्षों अर्थात 2000-01 से 2002-03 तक के कार्य-परिणाम की तुलनात्मक स्थिति यह दर्शाती है कि जहां राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कुल संख्या कमोबेश उतनी ही रही, वहीं प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की संख्या 2001-02 में 36 से बढ़ी (सारणी IV.18) ।

4.67 अधिकांश लाभ अर्जक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के लाभों में सुधार देखा गया, जबकि अधिकांश हानि उठाने वाले रा स कृ ग्रा वि बैंकों की हानि की स्थिति और खराब हो गयी। सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन 2002-03 के दौरान अलग-अलग राज्यों में काफी अलग-अलग रहा । तथापि 2002-03 के दौरान लाभ अर्जक प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने अपने कार्य-निष्पादन में सुधार दर्शाया, जबकि कई राज्यों में उनकी हानियों में कमी आयी। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा अर्जित निवल मार्जिन क्रमशः 1.5 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत पर ऋणात्मक बना रहा। 20 रा स कृ ग्रा वि बैंकों के आधे बैंकों ने धनात्मक निवल मार्जिन दर्शाया तथा शेष ने ऋणात्मक निवल मार्जिन दर्शाया। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का 9 राज्यों में ऋणात्मक निवल मार्जिन था जबकि केवल 3 राज्यों में ही उनका धनात्मक निवल मार्जिन था।

4.68 2002-03 के दौरान राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों की लाभप्रदता ने 2001-02 की तुलना में निम्नमुखी प्रवृत्ति दर्शायी जबकि राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों दोनों की संचित हानियां वृद्धिशील रहीं (सारणी IV.19)।

गैर-निष्पादक आस्तियां

4.69 आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण सम्बंधी विवेक-सम्मत मानदण्ड 1997-98 से रा स कृ ग्रा वि बैंकों / प्राथमिक सहकारी कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंकों पर भी लागू किये गये। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक की अनुमानित गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि क्रमशः 3,134 करोड़ रुपये और 3,569 करोड़ रुपये है जो 31 मार्च 2003 को बकाया कुल ऋण के 21.1 प्रतिशत और 33.1 प्रतिशत है। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के प्रति गैर-निष्पादक आस्तियों के ऋण अनुपात ने 2001-02 में गिरावट दर्शाने के बाद 2002-03 में वृद्धि दर्शायी है, जबकि प्राथमिक सहकारी कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंकों की स्थिति 2001-02 की तुलना में अच्छी रही (सारणी IV.20)।

सारणी IV.19: रा स कृ ग्रा वि बैंकों तथा प्रा स कृ ग्रा वि बैंकों की संचित हानियाँ

(राशि करोड़ रुपयेमें)

वर्ष	रा स कृ ग्रा वि बैंक	प्रा स कृ ग्रा वि बैंक
1	2	3
2000-01	907	1,157
2001-02	492*	1,944
2002-03	654	2,325

* महाराष्ट्र में 29 डीसीएआरएमडीबी जो कि महाराष्ट्र के रा स कृ ग्रा वि बैंक की शाखाएं है : 2000-01 में एकल शाखा संरचना के अन्तर्गत जिन्हें अब 1 अक्तूबर 2001 को संघीय संरचना में बदल दिया गया हैं उन्हें अब 2001-02 में प्रा स कृ ग्रा वि बैंकों में शामिल कर लिया गया है।

सारणी IV.20: रा स कृ ग्रा वि बैंक तथा प्रा स कृ ग्रा वि बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां

एजेंसी	2001	2002	2003
1	2	3	4
रा स कृ ग्रा वि बैंक	20.5	18.5	21.1
प्रा स कृ ग्रा वि बैंक	24.3	30.3	33.1

टिप्पणी :महाराष्ट्र के डीसीएआरएमडीबी के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वसूली कार्य

4.70 वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रमीण विकास बैंकों के वसूली-कार्य में कमी आयी है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैं के वसूली कार्य ने जम्मू और कश्मीर और पांडिचेरी राज्यों में सुधार दर्शाया, जबकि प्राथमिक सहकारी कृषि सहकारी एवं ग्रमीण विकास बैंकों के वसूली कार्य ने केवल उड़ीसा के मामले में ही सुधार दर्शाया। हरियाणा, केरल, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने 60 प्रतिशत से अधिक की वसूली दर्ज की। 768 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रमीण विकास बैंकों में से 201 की औसत वसूली कुल मांग के 60 प्रतिशत से अधिक थी। तथापि, समूचे क्षेत्र का औसत वसूली कार्य जून 2002 के अंत के 48 प्रतिशत की तुलना में जून 2003 के अंत में घटकर 44 प्रतिशत रह गया (सारणी IV.21)।

सहकारी संस्थाओं का प्रबन्धन

4.71 वर्ष के दौरान अनेक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों और प्रा स कृ ग्रा वि बैंकों में चुने गये प्रबन्ध बोर्डों के अधिक्रमण की प्रवृत्ति बनी रही (सारणी IV.22)।

सहकारी विकास निधि

4.72 नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 45 के उपबंध के अंतर्गत सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत करने, प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सुविधा विकास, मानव संसाधन विकास, प्रबंध सूचना प्रणाली में सुधार

सारणी IV.21: मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत
(जून के अंत तक)

एजेंसी	2001	2002	2003
1	2	3	4
रा स कृ ग्रा वि बैं	58	55	49
प्रा स कृ ग्रा वि बैंक	53	48	44

सारणी IV.22: अधिक्रमण के अधीन चुने गये बोर्ड
(मार्च के अंत में)

ब्यौरे	रा स कृ ग्रा वि बैंक	प्रा स कृ ग्रा वि बैंक
1	2	3
क. संस्थाओं की कुल संख्या	20	768
ख. ऐसी संस्थाओं की संख्या जिनके बोर्ड अधिक्रमण के अधीन हैं	8	378
ग. अधिक्रमण के अधीन बोर्डों का प्रतिशत	40	49

लाने, आदि पर जो देते हुए नाबार्ड द्वारा वर्ष 1992-93 में सहकारी विकास निधि की स्थापना की गयी।

4.73 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की बुनियादी सुविधा के विकास, प्रबंध सूचना प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण, क्षेत्र स्टाफ के लिए मोटरसाइकिल की खरीद, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान / कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए और ऐसी सहकारी ऋण संस्थाओं को जिन्होंने अच्छा कार्य-निष्पादन किया है, पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान 4.86 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी और 4.38 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी। इसमें से, 75 लाख रुपये की राशि 25 राज्य सहकारी बैंकों, 15 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लि. और राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ तथा राष्ट्रीय कृषि प्रबंध विकास एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग केन्द्र की अपनी प्रबंध सूचना प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए मंजूर की गयी और इसमें से 56 लाख रुपये की राशि वितरित की गयी।

विकास कार्य योजना / समझौता ज्ञापन

4.74 सहकारी बैंकों द्वारा संस्थागत मजबूतीकरण के उपाय के रूप में 1994-95 में शुरू की गयी संस्था विशेष विकास कार्य योजना तैयार करने की प्रणाली 2003-04 में जारी रही। विकास कार्य योजना में व्यवसायगत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उचित प्रतिबद्धताएं होने के लिए नाबार्ड, राज्य सरकार और बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। सभी 21 राज्य सहकारी बैंकों और 10 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों में शीर्षस्थ स्तर पर 2003-04 के लिए वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। विकास कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और समझौता ज्ञापन के अनुपालन पर राज्य सरकार और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ नाबार्ड द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्थापित निगरानी और समीक्षा समितियों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। वर्ष के दौरान संगठन विकास हस्तक्षेप प्रक्रिया भी जारी रही और प्रारंभिक चरण में अब तक 134 सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है। स्टाफ तथा साथ ही प्रबंध तंत्र की मनोवृत्ति और

दृष्टिकोण में आमूल-चूल बदलाव और परिवर्तन लाने में यह एक साधन बन गया है।

4.75 नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि विकास कार्य योजना / समझौता ज्ञापन के निष्पादन से बैंकों में वरिष्ठ प्रबंध स्तर पर यह जागरूकता पैदा हुई है कि बैंकों का कारोबार अधिक व्यावसायिक तरीके से करना आवश्यक हो गया है। बैंक लागत के बारे में सतर्क हो गये हैं और अधिकतर बैंकों में कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में प्रबंध की लागत में गिरावट आ गयी है। विकास कार्य योजना / समझौता ज्ञापन प्रक्रिया से बैंकों को ऋण कारोबार के विशाखीकरण में। सहायता मिली है विशेषतः कृषीतर क्षेत्र, ग्रामीण आवास, स्वयं-सहायता समूह आदि के वित्त पोषण में और कम लागत पर जमाराशि जुटाने में। साथ ही, इस प्रक्रिया से प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। विकास कार्य योजना के अंतर्गत स्वाधिकृत निधि, जमाराशि, जारी किये गये ऋण, बकाया ऋण और कार्यकारी निधि में लक्ष्यों की प्राप्ति 85 से 100 प्रतिशत के दायरे में रही।

4. नाबार्ड और सहकारी क्षेत्र

4.76 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एक ऐसी शिखर संस्था है जो ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को अपना संसाधन आधार बढाने के लिए नीतिगत योजना बनाने और पुनर्वित्तपोषण सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाबार्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने में तथा उसे अपनी इक्विटी को प्रभावी रूप से बढ़ाने में सक्षम करने एवं निवेश ऋण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने क्रमशः 550 करोड़ रुपये और 1,450 करोड़ रुपये की संचयी राशि का अंशदान किया। इन अंशदानों के साथ नाबार्ड का प्रभावी पूंजी आधार मार्च 2004 के अंत में 2,000 करोड़ रुपये हो गया। नाबार्ड को 2000-01 से पूंजी अभिलाभ कर छूट बाण्ड जारी करने के लिए भी अनुमति दी गयी है।

4.77 ग्रामीण ऋण के 50 प्रतिशत से अधिक अंश का वितरण, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया गया। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी नाबार्ड की होती है। इस दिशा में नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के सहयोग से विभिन्न उपाय करता रहा है।

नाबार्ड द्वारा किये गये नीतिगत उपाय

4.78 पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर बैंक को मार्गदर्शन और दिशानिर्देश देने के लिए नाबार्ड द्वारा 1999 में राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए गठित पर्यवेक्षण बोर्ड की 2003-04 के दौरान 6 बैठकें हुई। पर्यवेक्षण बोर्डों द्वारा जिन मुद्दों पर चर्चा की गयी उनमें अन्य बातों के साथ-साथ अशोध्य राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की समीक्षा करना, कुछ राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षी / विनियामक कार्रवाई करने के लिए '' संकेत बिन्दु'' का निर्धारण करना, प्रायोजक बैंक वार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना, विनियामक कार्रवाई के लिए जिन बैंकों की सिफारिश की गयी उनकी अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना शामिल है। पर्यवेक्षण बोर्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए सामान्य लेखांकन प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की थी ताकि उनके वित्तीय विवरणों में समानता तथा अतिरिक्त प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता लायी जा सके। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

नाबार्ड के लिए सामान्य ऋण व्यवस्था

4.79 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4 ई) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक, नाबार्ड के लिए सामान्य ऋण व्यवस्था (जीएलसी) उपलब्ध करता है ताकि वह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अल्पावधि की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। वर्ष 2003-04 (जुलाई-जून) के लिए रिज़र्व बैंक ने 6,500 करोड़ रुपये की सकल ऋण सीमा मंजूर की जिसमें क्रमशः 6 प्रतिशत और 6.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर जीएलसी-I के अंतर्गत दी गयी 5,650 करोड़ रुपये और जीएलसी-II के अंतर्गत 850 करोड़ रुपये की दी गयी राशि शामिल है। क्रमशः 6 प्रतिशत और 6.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर जीएलसी-I के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये और जीएलसी-II के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये दिये जाने के साथ वर्ष 2004-05 के लिए जीएलसी सीमा का नवीकरण करके उसकी राशि 5,200 करोड रुपये हो गयी।

नाबार्ड अधिनियम, 1981 का संशोधन

4.80 नाबार्ड अधिनियम, 1981 में सितंबर 2003 में संशोधन किया गया ताकि वह मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का सीधे-ही पुनर्वित्तपोषण कर सके। केवल मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में एक ऐसी योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 11(1) और कतिपय अन्य शर्तों का पालन करते हैं।

नाबार्ड के संसाधन

4.81 नाबार्ड के संसाधनों में 2003-04 में 5,818 करोड़ रुपये की ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि जमाराशियों के साथ हुई निवल वृद्धि (बकाया) ने वर्ष 2002-03 की तुलना में 11.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शायी (सारणी IV.23)। 2003-04 में प्रारक्षित भंडार और अधिशेष की हुई निवल वृद्धि की राशि 972 करोड़ रुपये

सारणी IV.23: नाबार्ड के संसाधनों में निवल वृद्धि
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

संसाधन के प्रकार	2003	2004
1	2	3
पूंजी	–	–
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	693	972
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	222	125
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	222	26
जमाराशियां	-20	-28
बाण्ड और डिबेंचर	2,624	3,181
केन्द्र सरकार से लिये गये उधार	-243	-26
रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार	-708	-1,598
विदेशी मुद्रा ऋण	52	-5
कॉर्पोरेट से लिये गये उधार	0	2,500
आरआइडीएफ जमाराशियां	2,434	-70
अन्य देयताएं	-370	673
अन्य निधि	67	68
जोड़	**4,973**	**5,818**

स्रोत : नाबार्ड

है, जबकि वर्ष 2002-03 में यह राशि 693 करोड़ रुपये की थी। तथापि, नाबार्ड के पास रखीं गयी जमाराशियों (बैंकों से जुटायी गयी ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि जमाराशियों सहित) में वर्ष 2002-03 की तुलना में 2003-04 में गिरावट पायी गयी। इसके परिणामस्वरूप, 2003-04 में बाण्ड और डिबेंचर जारी करने के माध्यम से बाजार उधार लेने की निर्भरता में काफी वृद्धि हुई, जबकि केन्द्र सरकार से लिये गये उधार में गिरावट दिखायी दी। वाणिज्यिक बैंकों से लिये गये अन्य उधार में भी वृद्धि दिखायी दी।

ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)

4.82 ग्रामीण बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1995-96[3] में केन्द्र सरकार की पहल के अधीन नाबार्ड में ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि स्थापित की गयी थी। तब से इस निधि में नौ बार विनियोजन शृंखला जारी हुई। वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने प्राथमिकता-प्राप्त/ कृषि क्षेत्र को दिये जानेवाले उधार में होनेवाली कमी के अनुसार इस निधि में अंशदान किया जाता है। वर्ष 1999-2000 (आरआइडीएफ-V) से इसका विस्तार किया गया है जिससे पंचायती राज संस्थाएं, स्वयं-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, *आदि* द्वारा ऋण का उपयोग किया जा सके।

4.83 2003-04 के दौरान आरआइडीएफ के अधीन वाणिज्य बैंकों से प्राप्त जमाराशियों की राशि 2,159 करोड़ रुपये थी। मार्च 2004 के अंत में, संचयी जमाराशियां 18,305 करोड़ रुपये थीं (सारणी IV.24)। वर्ष के दौरान 2,229 करोड़ रुपयों की जमाराशियों का पुनःशोधन (मोचन) किया गया।

4.84 मार्च 2004 के अंत तक आरआइडीएफ की शृंखला I से X के अंतर्गत कार्पस फंड की सकल राशि 42,000 करोड़ रुपये हो गयी। मार्च 2004 के अंत तक विभिन्न शृंखलाओं के अंतर्गत मंजूर और वितरित की गयी संचयी राशियां क्रमशः 34,678 करोड़ रुपये और 21,067 करोड़ रुपये हैं (सारणी IV.25)। 16 जुलाई 2004 को विभिन्न शृंखलाओं के अंतर्गत मंजूर ऋण और वितरित निधि की सकल राशियां क्रमशः 35,174 करोड़ रुपये और 21,742 करोड़ रुपये हैं।

4.85 कुल 34,678 करोड़ रुपये की मंजूरी में से दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को कुल 9,939 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली और इस क्षेत्र

सारणी IV.24: आरआइडीएफ के अधीन जुटायी गयी जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरआइडीएफ I	आरआइडीएफ II	आरआइडीएफ III	आरआइडीएफ IV	आरआइडीएफ V	आरआइडीएफ VI	आरआइडीएफ VII	आरआइडीएफ VIII	आरआइडीएफ IX	**जोड़**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1995-96	350	–	–	–	–	–	–	–	–	350
1996-97	842	200	–	–	–	–	–	–	–	1,042
1997-98	188	670	149	–	–	–	–	–	–	1,007
1998-99	140	500	498	200	–	–	–	–	–	1,338
1999-00	67	539	796	605	300	–	–	–	–	2,307
2000-01	–	161	413	440	850	790	–	–	–	2,654
2001-02	–	155	264	–	689	988	1,495	–	–	3,591
2002-03	–	–	188	168	541	816	731	1,413	–	3,857
2003-04	–	–	–	–	261	503	257	681	457	2,159
जोड़	**1,587**	**2,225**	**2,308**	**1,413**	**2,641**	**3,097**	**2,483**	**2,094**	**457**	**18,305**

स्रोत : नाबार्ड

[3] बाक्स II.5 भी देखें।

सारणी IV.25: आरआइडीएफ के अधीन मंजूर और वितरित ऋण

(31 मार्च 2004 को)

(राशि करोड़ रुपये में)

आरआइडीएफ	वर्ष	कार्पस निधि	मंजूर ऋण	वितरित ऋण	मंजूर ऋणों के प्रतिशत के रूप में वितरित ऋण
1	2	3	4	5	6
I	1995	2,000	1,911	1,761	92.2
II	1996	2,500	2,659	2,398	90.2
III	1997	2,500	2,718	2,444	89.9
IV	1998	3,000	2,913	2,266	77.8
V	1999	3,500	3,514	2,712	77.2
VI	2000	4,500	4,550	3,274	72.0
VII	2001	5,000	4,893	2,769	56.6
VIII	2002	5,500	6,083	2,450	40.3
IX	2003	5,500	5,438	994	18.3
X	2004	8,000	–	–	–
जोड़		**42,000**	**34,678**	**21,067**	**60.8**

स्रोत : नाबार्ड

के राज्यों में आंध्र प्रदेश को 4,480 करोड़ रुपये की सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई। मध्यवर्ती क्षेत्र के राज्यों को कुल 7,127 करोड़ रुपये की मंजूरी प्राप्त हुई। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को 3,136 करोड़ रुपये की सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई। उत्तरी क्षेत्र के पांच राज्यों को 6,138 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और इस क्षेत्र में 1,807 करोड़ रुपये प्राप्त करते हुए राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों को 5,450 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र को प्राप्त हुई 2,804 करोड़ रुपये की राशि सबसे अधिक है। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को 4,643 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसमें सबसे अधिक 2,487 करोड़ रुपये की मंजूरियां पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुई। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को प्राप्त कुल मंजूरी की राशि 1,381 करोड़ रुपये है और उसमें असम को 645 करोड़ रुपये की सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

4.86 वर्ष (2003-04) के दौरान 3,922 करोड़ रुपये के वितरण के साथ ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत संचयी वितरण की राशि 31 मार्च 2004 को 21,067 करोड़ रुपये हो गयी। आंध्र प्रदेश को 2,817 करोड़ रुपये का सबसे अधिक राशि का ऋण प्राप्त हो गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को 733 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो गयी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम को 295 करोड़ रुपये की सबसे अधिक राशि प्राप्त हो गयी।

4.87 ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि ऋण पर ब्याज दर को आरआइडीएफ I के अंतर्गत निर्धारित 13 प्रतिशत से घटाकर आरआइडीएफ IX के अंतर्गत 6.5 प्रतिशत वार्षिक किया गया। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि ऋण के लिए पात्र परियोजनाओं की व्याप्ति सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित सेवाओं जैसी नवोन्मेषी परियोजनाओं तथा बिजली क्षेत्र के अंतर्गत प्रणालीगत सुधार और मिनि हाईडल, प्राथमिक / माध्यमिक पाठशाला भवन का निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारिश के पानी का संचय करने के लिए निर्माण, आदि जैसी नयी गतिविधियों को शामिल करते हुए बढ़ायी गयी।

4.88 विभिन्न शृंखलाओं के अंतर्गत मंजूर किये गये ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि ऋण में ग्रामीण सड़कों और पुल का 46.8 प्रतिशत अंश बना रहा। इसके बाद सिंचाई क्षेत्र को 35.4 प्रतिशत अंश मिला। वर्ष 2003-04 के दौरान समाविष्ट की गयी परियोजनाओं में भू-संरक्षण, जल-संरक्षण विकास, जल-निकासी में सुधार, बाढ़ से संरक्षण, वन प्रबंध, ग्रामीण पेय जल आपूर्ति, बिजली क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक / माध्यमिक पाठशालाओं के लिए भवन निर्माण, आंगणवाड़ी, शिशुशिक्षा केन्द्र, ग्रामीण पुस्तकालय, नदीय मत्स्यपालन *आदि* शामिल हैं।

4.89 वर्ष 2003-04 के दौरान आरआइडीएफ-IX के अंतर्गत 20,178 परियोजनाओं को मंजूर किये गये ऋण की राशि 5,438 करोड़ रुपये है। ग्रामीण सड़कों और पुलों का अंश परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से 13.1 प्रतिशत है और वर्ष 2003-04 के दौरान मंजूर किये गये ऋण की राशि में 30.3 प्रतिशत है। सिंचाई परियोजनाओं का अंश परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से 62.1 प्रतिशत और मंजूर किये गये ऋण की राशि में 42.6 प्रतिशत है।

नाबार्ड से ऋण

4.90 नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि कार्य, फसल का विपणन, मत्स्यपालन संबंधी गतिविधि, सहकारी बुनकर समितियों की उत्पादन / खरीद और विपणन गतिविधि, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण कारीगरों के वित्तपोषण तथा उर्वरकों की खरीद एवं वितरण, *आदि* के लिए अल्पावधि ऋण सुविधाएं उपलब्ध

सारणी IV.26: नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकार और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये गये ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

श्रेणी	2003 (जुलाई-जून)				2004 (जुलाई-जून)			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक								
क. अल्पावधी	7,430	7,910	8,238	5,185	8,524	8,719	8,918	4,985
ख. मध्यावधि	880	18	130	356	288	576	302	630
जोड़ (क+ख)	**8,310**	**7,928**	**8,368**	**5,540**	**8,812**	**9,294**	**9,220**	**5,615**
2. राज्य सरकार								
दीर्घावधि	61	28	74	441	40	85	67	460
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक								
क. अल्पावधी	1,406	1,097	1,487	869	1,433	989	1,245	613
ख. मध्यावधि	3	0	12	24	0	0	15	8
जोड़ (क+ख)	**1,409**	**1,097**	**1,499**	**892**	**1,433**	**989**	**1,260**	**621**
कुल जोड़ (1+2+3)	**9,779**	**9,053**	**9,940**	**6,874**	**10,284**	**10,369**	**10,547**	**6,696**

स्रोत : नाबार्ड

कराता है। वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि, संबद्ध और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक नयी ऋण व्यवस्था शुरू की गयी। इसके अलावा, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने और अन्य अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के लिए मध्यावधि ऋण भी दिये गये। नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण भी देता है।

4.91 वर्ष 2003-04 के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर किये गये ऋण की सकल राशि लगभग 8,812 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2002-03 में मंजूर की गयी राशि से लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सरकारों को दिये गये बकाया ऋण की राशि लगभग 6,075 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2002-03 की तुलना में अधिक ही है (सारणी IV.26)।बकाया पुनर्वित्त का प्रमुख अंश अल्पावधि प्रयोजनों के लिए था (4,819 करोड़ रुपये या 82 प्रतिशत)। राज्य सहकारी बैंकों को दिये गये बकाया पुनर्वित्त का अधिकांश (94 प्रतिशत) मौसमी कृषि कार्य का था।

4.92 वर्ष 2003-04 के दौरान नाबार्ड ने सूखे के कारण खराब हुई फसल के कारण अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए लगभग 288 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की, जो 2002-03 में मंजूर की गयी 880 करोड़ रुपये की राशि से कम है जब देश ने गंभीर सूखे का सामना किया था। नाबार्ड ने सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए नौ राज्य सरकारों को लगभग 39 करोड़ रुपये की राशि के दीर्घावधि ऋण मंजूर किये।

4.93 अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की घटती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सहकारी बैंकों को सात प्रतिशत से अधिक के समग्र बकाया पुनर्वित्त की चुकौती नाबार्ड को कोई पूर्व-चुकौती प्रभार दिये बिना करने का विकल्प दिया गया था। कमजोर राज्य सहकारी बैंकों को ऐसा विकल्प दिया गया था कि वे चाहे तो उच्च लागत के बकाया पुनर्वित्त पर आठ प्रतिशत की एकसमान दर से ब्याज दर का पुनर्निर्धारण करें, बशर्ते वे विकास कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करें। नाबार्ड का 13 फरवरी 2004 से प्रभावी मीयादी ऋण का ब्याज दर ढांचा सारणी IV.27 में दिया गया है।

सारणी IV.27: मीयादी ऋणों के लिए नाबार्ड की ब्याज दर संरचना

सीमा का आकार	अंतिम हिताधिकारियों के लिए ब्याज दर	पुनर्वित दर ब्याज दर	
		वाणिज्य बैंक	क्षेग्रा.बैंक/ अनु.वा.बैंक/ रासकृग्राविबैंक
1	2	3	4
रु. 50,000 तक	हिताधिकारियों के लिए ब्याज की दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निदेशों के अनुसार बैंकों द्वारा निर्धारित की जानी है।	5.75	5.75
रु. 50,000 से अधिक और रु. 2 लाख तक		6.50	6.50
2 लाख रुपये से अधिक*		6.50	6.50

* कृषीतर क्षेत्र के लिए 6.75 प्रतिशत; लघु सिंचाई, शुष्क भूमि खेती, भूमि और जलविभाजक विकास, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयं-सहायता समूह, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कार्य योजना, जैव खेती, कृषि निर्यात क्षेत्र के अंतर्गत ठेके पर खेती, सुगन्धित और औषधीय पौधे, ग्रामीण आवास को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए 7.00 प्रतिशत; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वितरित ऋणों की सभी श्रेणियों के लिए 5.75 प्रतिशत, एवं राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को अंतरिम वित्त पर 7.5 प्रतिशत ।

4.94 नब्बे के दशक में ग्रामीण ऋण वितरण के क्षेत्र में हुई दो मुख्य नयी गतिविधियां थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना और स्वयं -सहायता समूह - बैंक सम्बद्ध कार्यक्रम। नवोन्मेषी ऋण वितरण के प्रवर्तक के रूप में बनायी गयी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली से किसानों को लचीले और किफायती स्वरूप में निविष्टियों की खरीद सहित खेती की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त और समय पर सहायता देना (बाक्स IV.4)।

बाक्स IV.4: किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 1998-99 के केन्द्रीय बजट में नाबार्ड द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और एक माडल योजना निर्धारित करने की घोषणा की गयी थी। तदनुसार, इस माडल योजना के विवरण रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को और नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अगस्त 1998 में इन अनुदेशों के साथ परिचालित किये गये कि वे अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में इसे लागू करें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अब तक फसल ऋण के मुख्य स्रोत के रूपमें स्थापित हो गयी है परंतु किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताएं जैसे सम्बद्ध और कृषीतर गतिविधियों संबंधी आवश्यकताएं इस योजना की परिधि से परे रही हैं जिससे अतिरिक्त लागत और समय लगता है तथा क्रियाविधिगत असुविधा होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने 4 अक्तूबर 2004 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना संशोधित की ताकि 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए मीयादी ऋणों को इस योजना में शामिल किया जा सके।

इस योजना के अंतर्गत शामिल किये गये हिताधिकारी को क्रेडिट कार्ड और पास बुक या क्रेडिट कार्ड एवं पास बुक जारी की जाती है जिसमें नाम, पता, भूमि धारिता के विवरण, उधार लेने की सीमा, वैधता अवधि का उल्लेख और धारक का पासपोर्ट के आकार का फोटो, आदि होता है, जिसका उपयोग पहचान पत्र जैसा हो सके और उसमें निरंतर आधार पर होनेवाले लेनदेनों को दर्ज करने के लिए सुविधा हो सके। उधारकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि जब कभी वह खाते में लेन-देन करे तब कार्ड एवं पासबुक प्रस्तुत करे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा मीयादी ऋण तथा अल्पावधि। कार्यकारी पूंजी ऋण सुविधाएं दी जाती हैं और पासबुक में (i) अल्पावधि ऋण / फसल ऋण; (ii) सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कार्यकारी पूंजी ऋण तथा (iii) मीयादी ऋण के लिए पासबुक में तीन अलग-अलग रिकार्ड रखे जाते हैं। अल्पावधि ऋण/फसल ऋण परिक्रामी नकदी ऋण सुविधा के रूप में होता है जिसमें परिचालनगत भूमि धारिता, फसल पद्धति और वित्त की मात्रा के आधार पर निश्चित सीमा के भीतर कई आहरण और चुकौतियां अपेक्षित हैं। सीमा निश्चित करते समय फसल उत्पादन से संबंधित पूर्ण वर्ष के समग्र उत्पादन की ऋण आवश्यकताओं और अनुषंगी गतिविधियों पर विचार किया जाता है। बैंकों के विवेकानुसार उप-सीमाएं निश्चित की जा सकती हैं।मीयादी और कार्यकारी पूंजी ऋण की मात्रा की सीमा किसानों द्वारा अभिग्रहित की जानेवाली प्रस्तावित आस्ति की इकाई लागत, खेत पर पहले से शुरू सम्बद्ध गतिविधि और किसान की चुकौती क्षमता के बारे में बैंक के निर्णय पर आधारित होती है। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की गयी है। जहां अल्पावधि तथा साथ ही साथ कार्यकारी पूंजी ऋण 12 महीने में प्रतिदेय होता है वहीं मीयादी ऋण प्रचलित दिशानिदेशों के अनुसार गतिविधि/निवेश के प्रकार के आधार पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में चुकाना पड़ता है। नैसर्गिक आपदाओं के कारण फसल की हानि होने के मामले में ऋणों के परिवर्तन / पुनर्निर्धारण के लिए भी अनुमति दी गयी है। रिजर्व बैंक/नाबार्ड की शर्तों के अनुसार जमानत, मार्जिन, ब्याज दर, और विवेकपूर्ण मानदंड लागू होते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य लाभ है न्यूनतम पेपरकार्य और बैंक से निधि के आहरण के लिए प्रलेखीकरण का सरलीकरण जिससे शाखा के स्टाफ का कार्यभार कम हो जाता है। इसके अलावा इस योजना से प्राप्त होनेवाले अन्य लाभ हैं - निधियों के पुनर्निवेश में सुधार और ऋणों की बेहतर वसूली, बैंकों को होनेवाली लेनदेन लागत में कमी और बेहतर बैंकर-ग्राहक संबंध।

साधारण बीमा निगम इस बात से सहमत हुआ है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र फसल के लिए वितरित फसल ऋण अब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत व्यापक फसल बीमा योजना में शामिल किया जायेगा। तथापि, बैंकों से अपेक्षित है कि वे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुपालन और सामान्य फसल ऋण के मामले की तरह ही उसके मौसमी अनुशासन, घोषणापत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और अंतिम उपयोग, आदि के बारे में सभी बैक-अप रिकार्ड रखें।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना सभी वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों/ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। इन एजेंसियों ने 31 मार्च 2004 तक कुल मिलाकर 414 लाख कार्ड जारी किये जो कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की व्यापक स्वीकार्यता का परिचायक है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी प्रगति की संक्षिप्त स्थिति नीचे सारणी में दी गयी है:

एजेंसीवार, वर्षवार किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या

(31 मार्च 2004 तक)

(कार्ड लाख में)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रा बैंक	वाणिज्यिक बैंक	**कुल**
1998-99	1.56	0.06	6.22	7.84
1999-2000	35.95	1.73	13.66	51.34
2000-01	58.14	6.48	23.90	86.52
2001-02	54.36	8.34	30.71	93.41
2002-03	45.79	9.64	27.00	82.43
2003-04	48.78	12.74	30.94	92.25
कुल	**242.68**	**38.99**	**132.43**	**414.00**
कुल में प्रतिशत हिस्सा	59.0	9.0	32.0	100.0

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के राष्ट्रीय प्रभाव के मूल्यांकन पर एक सर्वेक्षण किया। इस अध्याय में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कई लाभ दिखाये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्धता में वृद्धि, अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक क्षेत्र से लिए जानेवाले एकमात्र उधार में ठोस कमी, अल्पावधि कृषि ऋण प्राप्त करने में लगाये जानेवाले समय में उल्लेखनीय बचत एवं ऋण वितरण की लागत में समग्र कटौती। इस सर्वेक्षण से ऐसा संकेत मिलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना से औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज लागत में कमी के साथ उधार लेने की लागत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। सर्वेक्षण में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गयी जहां उन्हे और सुचारु बनाये जाने की जरूरत है अर्थात रक्षा के प्रति जागरुक बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में लगाये गये प्रतिबंध, किसान क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को केवल कार्ड जारी करनेवाली शाखा तक सीमित रखना; समय पर चुकौती की जाने के लिए उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन /पुरस्कार उपलब्ध न होना; कृषकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए न्यून ऋण सीमाएं और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के प्रावधानों के संबंध में कम जागरुकता। उक्त योजना के अधीन कृषि क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय बैंक संघ को इन सुझावों पर विचार करने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है।

4.95 इस योजना की शुरुआत के समय से हासिल उल्लेखनीय प्रगति तथा इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकांश राज्यों में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने लक्ष्य /लक्ष्य से अधिक हासिल कर लिया है, यह माना जा सकता है कि अधिकांश पात्र किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लाया गया है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे चूककर्ताओं सहित नये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना में लायें।

5. माइक्रो क्रेडिट से संबंधित मुद्दे

4.96 रिज़र्व बैंक ने माइक्रो क्रेडिट को मुख्य धारा में लाने के लिए तथा माइक्रो क्रेडिट प्रदाताओं की पहुंच बढ़ाने के लिए फरवरी 2000 में बैंकों को दिशानिदेश जारी किये। अन्य बातों के साथ-साथ इन दिशानिदेशों में यह नियत किया गया कि बैंकों द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को सीधे अथवा किसी मध्यस्थ संस्था के जरिए उपलब्ध किये गये माइक्रो क्रेडिट को उनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण दिये जाने के एक भाग के रूप में गिना जाएगा। माइक्रो वित्तपोषण के अंतर्गत ऋण देने के प्रयोजन के लिए बैंकों को आजादी देने के लिए माइक्रो वित्तपोषण के प्रयोजन से विशिष्ट माडल नियत नहीं किए गए। तथापि, रिज़र्व बैंक 1991-92 में शुरू किए गए नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है ।

4.97 स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम देश में एक प्रमुख माइक्रो-वित्तपोषण कार्यक्रम के रूप में उभरकर सामने आया है तथा इसका कार्यान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा किया जा रहा है। जहां सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के 563 जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, वहीं अब 48 वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 316 सहकारी बैंक सहित 560 बैंकों के साथ-साथ 3,024 गैर-सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बैंकों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की संख्या 31 मार्च 2004 को कुल 1,079,091 थी। इससे 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था के अंतर्गत 16.7 मिलियन गरीब परिवारों को शामिल किये जाने का अनुमान है। बैंकों से जुड़े हुए 90 प्रतिशत समूह अनन्य रूप से महिला समूह हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण के संचयी संवितरण की राशि 31 मार्च 2004 को 3,904 करोड़ रुपए है औसतन ऋण की राशि प्रति स्वयं सहायता समूह 36,179 रुपए तथा प्रति परिवार 2,412 रुपए थी।

4.98 रिज़र्व बैंक ने संरचना और व्यवहार्यता, निधीयन, विनियमन, माइक्रो वित्त संस्थाओं के क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए अक्तूबर 2002 में चार समूहों का गठन किया था। इन समूहों की सिफारिशों के अनुसरण में, वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में यह घोषणा की गयी कि (i) बैंकों को क्रियाविधियों को बिल्कुल सरल और आसान बनाते हुए स्वयं सहायता समूह के वित्तपोषण के लिए अपनी शाखाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए तथा (ii) स्वयं सहायता समूह के कार्य की समूह गति का भार उनपर ही छोड़ देना चाहिए तथा न तो उनका विनियमन किया जाना चाहिए और नही कोई औपचारिक संरचना (रूपरेखा) थोपी जानी चाहिए अथवा उनपर बल देना चाहिए एवं (iii) स्वयं सहायता समूह के माइक्रो वित्तपोषण के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः निर्बाध होना चाहिए तथा इसमें उपभोग व्यय भी सम्मिलित होना चाहिए।

4.99 बैंकिंग प्रणाली से कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों को ऋण उपलब्धता संबंधी सलाहकार समिति (अध्यक्ष श्री वी.एस.व्यास) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गयी थी कि जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए माइक्रो वित्त संस्थाओं को सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वे रिज़र्व बैंक के वर्तमान विनियामक ढांचे का अनुपालन नहीं करते हैं।

4.100 (i) 1992 से 1995 के दौरान प्रायोगिक परीक्षण, (ii) 1996 से 1998 के दौरान मुख्य धारा में जाने तथा (iii) 1998 के बाद प्रसार के चरणों से गुजरने के बाद, स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम ने 2003-04 के दौरान देश के कई भागों में माइक्रो वित्त आंदोलन का रूप लिया तथा अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण (प्रवेश) किया। कार्यक्रम के सभी पणधारकों के लिए लाभदायक स्थिति महसूस करते हुए नाबार्ड ने वर्ष 2008 तक स्वयं सहायता समूह - बैंक संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख स्वयं सहायता समूह के जरिए एक तिहाई ग्रामीण गरीबों को सम्मिलित करने (लाभ पहुंचाने) का लक्ष्य निर्धारित किया है। गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों तथा बैंकों के स्वयं सहायता समूह के साथ कारोबार करने संबंधी क्षमता निर्माण के लिए गहन प्रयास तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सतत अभियान चलाया गया। यह लक्ष्य नियत समय से काफी पहले 31 मार्च 2004 तक हासिल कर लिया गया जो ग्रामीण गरीबों सहित सभी पणधारकों द्वारा अपनाये गये इस दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है।

4.101 2003-04 के दौरान बैंकिंग प्रणाली द्वारा 3.62 लाख नए स्वयं सहायता समूह की ऋण संबद्धता के साथ इस कार्यक्रम में व्यापक प्रसार देखा गया। वर्ष 2002-03 की तुलना में वृद्धि दर 41 प्रतिशत थी तथा ऐसे स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या बढ़कर 10.8 लाख हो गयी। 2003-04 के दौरान बैंकों ने 1,856 करोड़ रुपए के ऋण दिये जो वर्ष 2002-03 की तुलना में 81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं तथा इस प्रकार कुल संचयी राशि 3,904 करोड़ रुपए हो गयी। इसके अतिरिक्त अनुमान है कि इस समय स्वयं सहायता समूह 650 करोड़ रुपए की अपनी स्वाधिकृत निधि का प्रबंध करते हैं। स्वयं सहायता समूह के ऋण की मात्रा औसतन 28,560 रुपए से बढ़कर 36,179 रुपए हो गयी जो स्वयं सहायता समूह के बीच क्रेडिट (ऋण) पहुंच सुदृढ़ होने को दर्शाता है। कार्यक्रम ग्रामीण गरीब महिलाओं (90 प्रतिशत) को स्व-प्रबंधित, घर पर सुलभ माइक्रो वित्त आंदोलन में शामिल करने से व्यापक समर्थन प्राप्त होता रहा। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाभान्वित होने वाले गरीब परिवारों की संख्या 31 मार्च

सारणी IV.28: माडल वार संबद्धता स्थिति

(31 मार्च 2004 के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

माडल	प्रकार	स्वयं सहायता समूह की संख्या	बैंक ऋण
1	2	3	4
I	बैंक द्वारा गठित और वित्तपोषित एसएचजी	2,17,624 (20)	549.87 (14)
II	एनजीओ / सरकारी एजेंसियों आदि द्वारा गठित और बैंकों द्वारा वित्तपोषित	7,77,326 (72)	3,164.72 (81)
III	एनजीओं की औपचारिक एजेंसियों को वित्तीय मध्यस्थ के रूप में उपयोग करते हुए बैंकों द्वारा वित्तपोषित एसएचजी	84,141 (8)	189.62 (5)
	कुल योग	**10,79,091**	**3,904.21**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें कुल का प्रतिशत है।

2003 के 116 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 167 लाख से अधिक हो गयी तथा इस प्रकार 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

माडल वार प्रवृत्ति

4.102 इन वर्षों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) -बैंक संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत तीन माडल उभरकर सामने आए हैं, जिनके ब्यौरे सारणी IV.28 में दिए गए हैं। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्त का अधिकांश भाग माडल II के अंतर्गत आता है जहां गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों, किसान क्लब, आदि जैसी मददगार एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित स्वयं सहायता समूह को बैंक शाखा वित्तपोषित करती है। कुल संबद्धता में तीन माडलों के हिस्से में 2002-03 की तुलना में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ। तथापि, प्रवृतियों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि माडल II स्वयं सहायता समूह -बैंक संबद्धता कार्यक्रम में सर्वाधिक स्वीकार्य फार्मेट है।

एजेंसीवार प्रवृत्ति

4.103 वर्ष 2003-04 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न बैंकिंग एजेंसियों की सहभागिता के संदर्भ में सहकारी बैंकों का हिस्सा स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण में 31 मार्च 2003 के 11 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 13 प्रतिशत हो गया। सहकारी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह की कुल संख्या मार्च 2003 के अंत के 78,959 से बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 1,34,671 हो गयी जो सहकारी क्षेत्र द्वारा दिखायी गयी पर्याप्त रुचि को दर्शाती है (सारणी IV.29)।

इन वर्षों में प्रगति

4.104 स्वयं सहायता समूह -बैंक संबद्धता कार्यक्रम बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक प्रस्ताव के रूप में स्थापित है जिसके फलस्वरूप कारोबार प्रसार में होनेवाले अन्य परिमाणात्मक लाभ हैं - निम्नतर लेनदेन लागत, लगभग शून्य गैर-निष्पादक आस्तियां तथा बैंक शाखाओं के लिए ग्रामीण ग्राहकवर्ग में सद्भावना के निर्माण के लाभ । 368 में से 316 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अतिरिक्त सभी 48 वाणिज्यिक बैंक तथा 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 1992-1993 से 2003-04 के बीच स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति का सारांश सारणी IV.30 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी IV.29: एजेंसी-वार संबद्धता स्थिति

(मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रु.में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूह की संख्या		बैंक ऋण	
संचयी स्थिति	2003	2004	2003	2004
1	2	3	4	5
वाणिज्यिक बैंक	3,61,061 (50)	5,38,422 (49)	1,150 (56)	2,255 (58)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2,77,340 (39)	4,05,998 (38)	727 (36)	1,278 (33)
क्रेडिट को-ऑपरेटिव बैंक	78,959 (11)	1,34,671 (13)	172 (8)	371 (9)
कुल	**7,17,360**	**1,079,091**	**2,049**	**3,904**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

सारणी IV.30: स्वयं सहायता समूह - बैंक संबद्धता कार्यक्रम

(31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	बैंक द्वारा वित्तपोषित कुल एसएचजी			बैंक ऋण			पुनर्वित्त		
	वर्ष के दौरान		संचयी	वर्ष के दौरान		संचयी	वर्ष के दौरान		संचयी
	संख्या	वृद्धि (प्रतिशत)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)	वृद्धि (प्रतिशत)	राशि (करोड़ रु.)	राशि (करोड़ रु.)	वृद्धि (प्रतिशत)	राशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1998-99	32,995	–	32,995	57	–	57	52	–	52
1999-00	81,780	148	1,14,775	136	138	193	98	88	150
2000-01	1,49,050	82	2,63,825	288	112	481	251	156	401
2001-02	1,97,653	33	4,61,478	545	89	1,026	396	58	796
2002-03	2,55,882	29	7,17,360	1,022	87	2,049	622	57	1,419
2003-04	3,61,731	41	10,79,091	1,856	81	3,904	705	13	2,124

4.105 गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी विकास एजेंसियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण स्वयं सहायता समूह व्यवस्था के जरिए सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के फायदे को महसूस करते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने का कार्य आसान हो गया। इस कार्यक्रम से संबद्ध स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देनेवाली एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी एजेंसियों) की कुल संख्या 31 मार्च 2003 के 2,800 से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 3,024 हो गयी। इसके अतिरिक्त बैंकों, ग्रामीण स्वयं सेवकों, *आदि* द्वारा प्रवर्तित किसान क्लब जैसी अन्य अनौपचारिक व्यवस्थाएं भी गुणवत्ता वाले स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए शुरू कीं गयीं ताकि पिछड़े क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के तेजी से प्रसार को सुनिश्चित किया जा सके।

4.106 दक्षिणी राज्यों में इस कार्यक्रम की प्रगति तथा राज्य सरकारों द्वारा की गयी कुछ प्रमुख पहलों के कारण इस कार्यक्रम ने आंदोलन का रूप ले लिया है। तथापि, 2003-04 के दौरान यह कार्यक्रम दक्षिणेतर राज्यों में भी तेजी से फैला तथा 1.51 लाख से अधिक के स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया गया, जबकि वर्ष 2002-03 में 1.09 लाख स्वयं सहायता समूह को ऋण संबद्धता दी गयी थी। इस कार्यक्रम का प्रसार उन राज्यों में काफी रहा जिनकी पहचान नाबार्ड द्वारा गहन हस्तक्षेप के लिए की गयी थी जैसे असम (195 प्रतिशत), उत्तरांचल (100 प्रतिशत), बिहार (92 प्रतिशत), उड़ीसा (63 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (62 प्रतिशत)तथा झारखंड (37 प्रतिशत)।

4.107 साझेदार संस्थाओं को बढ़ाने की नीति के एक भाग के रूप में नाबार्ड ने साझेदार संस्थाओं के लिए निम्नलिखित उपायों के जरिए क्षमता निर्माण में सहायता देना शुरू कर दिया - इसमें पणधारकों में प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने, सर्वोत्तम संव्यवहार, *आदि* के प्रसार के लिए भरपूर निवेश के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थाओं के रूप में गैर-सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैकों, किसान क्लबों तथा ग्रामीण स्वयंसेवकों को स्वयं सहायता समूह की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देना, जिला स्तरीय वार्तालाप शुरू करना, साझेदार का समर्थन हासिल करना आदि शामिल है। स्वीकृत संचयी सहायता अनुदान की राशि कुल 15 करोड़ रुपये थी जिसमें 31 मार्च 2004 के 1,15,279 स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए 785 गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया जबकि 31 मार्च 2003 को 78,011 स्वयं सहायता समूह के लिए 564 गैर सरकारी संगठनों को 10 करोड़ रुपए की संचयी राशि स्वीकृत की गयी थी। पणधारकों के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करते हुए नाबार्ड ने विभिन्न प्रशिक्षण / सुग्राहीकरण तथा अनुभव कार्यक्रम संचालित किये/में सहायता दी जिसमें 2003-04 के दौरान स्वयं सहायता समूह के 1.59 लाख से अधिक सदस्य, 26,000 से अधिक बैंक अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 7,300 कर्मचारियों, सरकारी एजेंसियों के लगभग 5,900 अधिकारियों तथा लगभग 300 प्रशिक्षक शामिल हुए।

अन्य पहलें

4.108 नयी पहलों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- एक प्रायोगिक परियोजना जिसका लक्ष्य है गैर-सरकारी संगठन और कालाहंडी ग्रामीण बैंक के सहयोग से उड़ीसा राज्य के जनजाति क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम के साथ अन्न बैंक दृष्टिकोण के बीच सहक्रिया का निर्माण करना।
- आंध्र प्रदेश में श्री विशाखा ग्रामीण बैंक के साथ सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का उपयोग करते हुए ग्रामीण बैंकों की सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक प्रायोजिक परियोजना शुरू करना ।
- एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 'कम्प्यूटर मुंशी' संबंधी प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन ताकि स्वयं सहायता समूह लेखा तैयार

करने के लिए आत्मनिर्भर प्रणाली तथा स्वयं सहायता समूह की बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

- मध्यम माली हालत वाले ग्राहकों जिसमें लघु किसान / काश्तकार / मौखिक पट्टेधारी आते हैं, के वित्तपोषण के लिए संयुक्त देयता समूह के जरिए प्रायोगिक परियोजना शुरू करना (बाक्स IV.5)।
- 200 स्वयं सहायता समूह के वित्तपोषण के लिए तमिलनाडु में डाक घर के नेटवर्क के साथ सहयोग बनाना। आशा है कि इन पहलों से चुनिंदा ग्राहक समूहों तक बैंकिंग सेवाओं के अधिक प्रसार के लिए दिशा तय होगी।

बाक्स IV.5: संयुक्त देयता समूह दृष्टिकोण के जरिए लघु उधारकर्ताओं को ऋण सहज उपलब्ध करना

जबकि माइक्रो वित्त दृष्टिकोण बहुसंख्य ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने में सफल रहा है, इस बात की आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम माली हालत वाले लोगों के लिए निरंतर ऋण की व्यवहार्य पहुंच के मुद्दे का भी समाधान किया जाए। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान और कारीगर आते हैं जिनकी ऋण आवश्यकता स्वयं सहायता समूह -बैंक संबद्धता कार्यक्रम के जरिए प्रबंध किये जा रहे माइक्रो-ऋण की तुलना में प्रायः बृहतर आकार और दीर्घतर अवधि की होती है। उधारकर्ताओं का यह वर्ग शाखा स्तर पर ऋण खातों के बड़े भाग तथा औसत बकाया छोटे ऋण के मदेनजर लेनदेन लागत के बृहतर हिस्से के अंश दान का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में काश्तकार / मौखिक पट्टाधारक हैं, जो मूर्त संपार्श्विक प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तथा इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली के पारंपरिक वित्तपोषण दृष्टिकोण में नहीं आते हैं। ऐसे भावी उधारकर्ताओं की बढ़ती हुई संख्या के कारण यह अत्यावश्यक समझा गया कि उन्हें ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जाए। 2003-04 के दौरान परामर्शी प्रक्रिया के बाद नाबार्ड द्वारा एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी ताकि बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव ऑफ थाईलैंड द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया संयुक्त देयता समूह दृष्टिकोण को, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्रिया विधि में उपयुक्त देशीकरण के साथ उसकी प्रतिकृति की संभावना का पता लगाया जा सके।

नाबार्ड की प्रायोगिक परियोजना के उद्देश्य

संयुक्त देयता समूह वित्तपोषण संबंधी प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य है संयुक्त देयता समूह की स्थापना और वित्तपोषण में सहायता के जरिए मध्यम माली हालत वाले ऋण लेनेवालों के लिए ऋण सहज बनाने के प्रयोजन से पूरक ऋण प्रौद्योगिकियां (व्यवस्था) प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य बैंकरों और लघु ग्राहकों के बीच पारस्परिक विश्वास और भरोसे को निर्माण करने का भी है जिसके लिए संपार्श्विक प्रोत्साहक और संपार्श्विक स्थानापन्न के लिए संयुक्त देयता समूह के विभिन्न माडलों का उपयोग करना तथा भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में इसकी उपयोगिता का तुलनात्मक मूल्यांकन करना भी है।

संयुक्त देयता समूह की आम विशेषताएं

प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया जानेवाला संयुक्त देयता समूह किसी बैंक के लिए 5-10 सदस्य ग्राहकों (नए अथवा वर्तमान) का एक समूह है जिसे बैंक द्वारा अनौपचारिक रूप से समूह के रूप में मान्यता दी जाती है। संयुक्त देयता समूह सदस्य बैंक को यह वचन देते है जो समूह द्वारा उपयुक्त समझे जानेवाले पृथक् (वैयक्तिक) अथवा संयुक्त (सामूहिक) कार्यकलापों का अनुसरण करने के लिए बैंक द्वारा पात्र समझे जाने वाली राशि को इकट्ठा प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाता है। संयुक्त देयता समूह का मुख्य उद्देश्य परस्पर ऋण गारंटी तथा संयुक्त देयता समझौता के निष्पादन को सहज बनाना है जिसके जरिए वे बैंक से प्राप्त ऋण की चुकौती और ब्याज के भुगतान के लिए व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से उतरदायी होते हैं। संयुक्त देयता समूह का प्रबंधन सरल रखा जाएगा तथा इस समूह के भीतर अल्प अथवा कोई भी वित्तीय प्रशासन नहीं होगा। संयुक्त देयता समूह के सदस्य आम तौर पर एक ही अड़ोस पड़ोस या गांव में रहते हैं अथवा वे समान सामाजिक - आर्थिक पृष्ठभूमि और परिवेश से संबंधित होते हैं। वे अधिकांशतः समान उत्पादन गतिविधियों में संलग्न होते हैं तथा आशा की जाती है कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं।

यह परियोजना 2003-04 के उत्तरार्ध में 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा एक एससीएआरडीबी में शुरू की गयी है। आरम्भिक परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं जैसा कि तमिलनाडु के पंड्यान ग्राम बैंक के अनुभव से देखा जा सकता है जिसके 1 करोड़ रुपये के ऋण से 105 संयुक्त देयता समूह के वित्तपोषण के जरिए मत्स्यपालन, कृषि और खुदरा व्यापार *आदि* के लिए छोटे ऋण के रूप में 500 से अधिक ग्राहकों को ऋण प्रदान किए गए हैं। आरम्भिक मूल्यांकनों से संयुक्त देयता समूह में अच्छे ग्राहकों को कृषिक्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की मात्रा बढ़ने की संभावना का संकेत मिलता है। यह ऐसी कृषक जनसंख्या के वर्ग तक पहुंचने के लिए ऋण साधन के रूप में कार्य कर सकता है जिनके पास स्वामित्व अधिकार अथवा जोतने के लिए पट्टेवाली जमीन नहीं है। इस व्यवस्था की नमनीयता, प्रलेखीकरण की सरलता और सस्ते ऋण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस दृष्टिकोण के प्रति संभावित उधारकर्ता आकृष्ट हो रहे हैं। तथापि, संयुक्त देयता समूह के लिए उधारकर्ताओं का चयन सावधानी से करने की आवश्यकता है तथा इस योजना के प्रभावी होने के लिए ग्राहकों को शिक्षा देने की प्रक्रिया पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है।